

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय

हैदराबाद - 500 007



वार्षिक लेखा

**2015-16**

# अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय

हैदराबाद - 500 007



वार्षिक लेखा

**2015-16**

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र एवं प्रतिवेदन	(i) - (x)
2.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के उत्तर	(xi) - (xx)
3.	लेखापरीक्षा वार्षिक लेखा	1 - 42
4.	भविष्यनिधि लेखा	43 - 48
5.	एनपीएस खाता	49 - 52



महानिदेशक लेखापरीक्षा(केंद्रीय) का कार्यालय  
सैफाबाद, हैदराबाद-500004.

OFFICE OF THE  
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL)  
SAIFABAD, HYDERABAD - 500 004.

E-Block, 1<sup>st</sup> Floor  
(Phone No: 040-23232069)

संख्या- डीजीए(सी)/सीईए/यूनिट-4/ईएफएलयू/एसएआर.2015-16/डी-358/2016-17/307 तिथि 6.10.2016

महोदय

विषय : अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद, के वर्ष 2015-16 के लेखा पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

.....

अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद, के वर्ष 2015-16 के लेखा पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, संलग्निका और विश्वविद्यालय के वार्षिक खातों 2015-16 की एक प्रति, संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजी जा रही है।

कृपया संसद के दोनों सदनों के समक्ष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पेश करने की तिथि से अवगत कराया जाए।

इस पत्र के साथ संलग्न सामग्री की प्राप्ति स्वीकार कर रसीद प्रदान करें।

भवदीय

एसडी/-

(अजायब सिंह)

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केंद्रीय)

संल: यथोपरी

संख्या- डीजीए(सी)/सीईए/यूनिट-4/ईएफएलयू/एसएआर.2015-16/डी-358/2016-17/305 तिथि 6.10.2016

प्रति- प्रो. सुनैना सिंह, कुलपति को प्रति, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद, उस्मानिया विश्वविद्यालय कैम्पस, तारनाका, हैदराबाद, 500605 वार्षिक खाते 2015-16 की एक प्रति (अंग्रेजी संस्करण) हिन्दी संस्करण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध के साथ स्वीकृत वार्षिक लेखा 2015-16 (2 प्रतियाँ) इस कार्यालय को भेजी गयी है।

संल: यथोपरी

रोली

निदेशक/प्रत्यक्ष कर एवं केंद्रीय स्वायत्त निकाय

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के खातों पर भारत के कंट्रोलर एवं महालेखाकार की पृथक लेखा रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च 2016 को प्रस्तुत अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के संलग्न तुलनपत्र, आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान खातों का लेखा परीक्षण कंट्रोलर एवं महालेखाकार(कर्तव्य, अधिकार एवं शर्त सेवा) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) (अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, अधिनियम 2006 के सेक्शन 33(1) के साथ पढ़ा जाए) के अंतर्गत किया है। इन वित्तीय बयानों के प्रति विश्वविद्यालय प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारी ज़िम्मेदारी लेखा नियमों के अनुसार इन वित्तीय बयानों पर अपना पक्ष रखना है।
2. इस पृथक लेखा रिपोर्ट में उत्तम लेखा प्रक्रिया एवं मानकों तथा नियमों आदि के आधार पर कार्यों के वर्गीकरण को सुनिश्चित बनाने के लिए केवल लेखा रखरखाव पर भारत के कंट्रोलर एवं महालेखाकार(कैग) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। विधि एवं नियम (परिसंपत्ति एवं नियामक) एवं कार्यक्षमता तथा कार्यप्रदर्शन आदि को ध्यान में रखते हुए वित्तीय लेन-देन के परीक्षण के दौरान पायी गयी शिकायत, यदि कोई है तो उसे जांच रपट/कैग की लेखा रिपोर्ट में पृथक रूप से शामिल किया गया है।
3. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों के अनुसार, हमें योजना बनाकर इस विश्वास के साथ लेखा परीक्षण करना पड़ता है कि वित्तीय बयानों में किसी प्रकार गुमराह करने का प्रयास नहीं किया गया है। लेखा में परीक्षण में संबंधित राशि के लिए उपलब्ध सबूतों एवं वित्तीय बयानों के निष्कर्ष के आधार देखे जाते हैं। लेखा में प्रबंधन द्वारा अपनाए गये लेखा सिद्धांत एवं महत्वपूर्ण आकलनों के अलावा संपूर्ण वित्तीय बयानों का व्यापक मूल्यांकन शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा लेखा परीक्षण हमारी टिप्पणियों के लिए उपयुक्त आधार है।
4. हमारे लेखा परीक्षण के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत है:
  - i. हमने सभी प्रकार की सूचनाएं एवं स्पष्टिकरण प्राप्त किये हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के लिए अनिवार्य है।
  - ii. इस रिपोर्ट में उल्लेखित तुलनपत्र और आय एवं व्यय खाते/प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाते वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पद्धति से तैयार नहीं किये गये हैं, ना ही मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय संस्थानों के लिए तैयार किये गये खातों

के संशोधित प्रारूप पर अमल किया गया है।

- iii. हमारे पक्ष में खाता पुस्तकें एवं अन्य प्रासंगिक रिकार्ड का रखरखाव विश्वविद्यालय ने उसी तरह किया है, जैसा कि हमारे परीक्षण में इस तरह की पुस्तकों का होना चाहिए।
- iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं:

## ए. तुलन पत्र

### ए 1. निधियों के स्रोत

#### ए 1.1 चालू देयताएँ एवं प्रावधान : 171.67 करोड़ (अनुसूची -3)

ए 1.1.1 इसमें आंतरिक आय निधि के रूप में समापन शेष राशि रुपये 1,22,09893/- शामिल है, जो आय एवं व्यय खाते के आय में दर्ज करने के बजाय अनुचित रूप से प्रायोजित कार्यक्रम के तहत दर्ज की गयी है, इसके परिणाम स्वरूप चालू देयताओं में अतियुक्ति हुई है और 1.22 करोड़ रुपये आय की न्यूनोक्ति तथा 1.22 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है।

ए 1.1.2 अन्य देयताओं के अंतर्गत 24,82,73,938 रुपये की समापन शेष राशि, जिसमें 13,58,087 रुपये का उचंत शेष भी शामिल है, पूर्व में की गयी टिप्पणियों के बावजूद संबंधित खातों में समायोजित नहीं किया गया है। इस स्थिति की वास्तविकता का विवरण लेखा पर टिप्पणियों में नहीं किया गया है।

#### ए.2 निधि के उपयोग

##### ए.2.1 स्थिर परिसंपत्तियाँ 65.76 करोड़ (अनुसूची 4)

ए.2.1.1 31,898 रुपए के मूल्यहास (15%) के रूप में 2,12,650 रुपये के कैमरा और एलईडी प्रोजेक्टर दर्शाये गये हैं, इस वर्ष के दौरान उपयोगिता के आधार पर 1,70,120 रुपये (80%) मूल्यहास इलेक्ट्रानिक उपकरण के रूप में दर्शाये गये, जबकि इसे कार्यालय उपकरण के रूप में 1,38,222 रुपये मूल्य हास दर्शाना चाहिए था। इसके परिणाम स्वरूप 1.38 लाख रुपये की स्थिर परिसंपत्तियों में न्यूनोक्ति और व्यय में इतनी ही अतियुक्ति हुई दर्ज हुई है और 1.38 लाख रुपये का अधिक घाटा भी दर्ज हुआ है।

## ए.2.2 ऋण, अंग्रिम एवं जमा 35.16 करोड़ (अनुसूची -8)

ए.2.2.1 प्रारंभिक शेष 4,77,15,439 रुपये सहित 21,13,44,645 रुपये के प्राप्तियोग्य दावों का विभिन्न खातों में फर्क पाया गया है, इन्हें संबंधित निधि खातों में स्थानांतरित नहीं किया गया है और न ही अब तक समायोजित किया गया है।

### बी. सामान्य

1. पूर्व लेखा टिप्पणियों ( वर्ष 2013-14 एवं वरार्ष 2014-15 की पृथक लेखा रिपोर्ट में) के बावजूद भूमि की विस्तृत जानकारी 1) आन्ध्र प्रदेश सरकार से मार्च 2009 में नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली मंडल सथित जाललपुर ग्राम में आवंटित 90 एकड भूमि (हस्तांतरण लंबित) एवं 2) केरल सरकार द्वारा राज्य में नया कैम्पस स्थापित करने के लिए प्राप्त की गयी 75 एकड भूमि का उल्लेख लेखा टिप्पणियों में उचित रूप से शामिल नहीं है।

2.आई टी अधिनियम तथा विश्वविद्यालय नीति संख्या 3.3 के अनुसार, आवास (छात्रावास भवन सहित) एवं कार्यालय भवन पर हासिल मूल्य पद्धति के आधार पर क्रमशः 5 एवं 10 प्रतिशत मूल्यहास दर्ज किया जाना चाहिए। पूर्व लेखा टिप्पणियों के बावजूद इसकी समीक्षा नहीं की गयी है और इस संबंध में विश्व विद्यालय नीति का उल्लेख भी वार्षिक खातों में उचित रूप से नहीं किया गया है।

3. विश्वविद्यालय के रिकार्ड्स( ₹23,53,568/-) के अनुसार, मूल्य में अंतर है एवं वार्षिक खातों के अनुसार, सकल ब्लॉक मूल्य वाहनों की वास्तविक स्थिति (₹65,60,828/-, अनुसूची -4 पृष्ठ 12) को नहीं दर्शाता है

4. विश्वविद्यालय ने वर्ष के दौरान 1887 बेकार सामग्री ( जिसमें कंप्यूटर संबंधित सामग्री, कैसेट रिकार्ड, एलसीडी प्रोजेक्टर, एयर कूलर, एरय कंडिशनर, यूपीएस, जेराक्स मशीन, प्रिंटर एवं फैक्स मशीन) को हटा दिया है। इसके बावजूद इन हटायी गयी सामग्री का सकल मूल्य कुल मूल्यहास के साथ उचित रूप से स्थिर परिसंपत्ति सूची में समायोजित नहीं किया गया है। इसके कारण बेकार वस्तुओं के निपटारे एवं उसके मूल्य एवं स्थिर परिसंपत्तियों अनुसूची 4 में समायोजित न करने के कारण निष्पक्ष खातों के लिए लेखा नीतियों में वास्तविक स्थिति नहीं दर्शायी जा सकी है।

5. (ए) निम्न मामलों में संबंधित बैंकों का पुष्टिकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है:

i. 31 मार्च 2016 को बैंक शेष, तेरह (13) चालू खातों में (वार्षिक खाता संलग्निका ए से अनुसूची-7, पृष्ठ 18 से 20).

ii. 31 मार्च 2016 को बैंक शेष, सैंतीस (37) चालू खातों में (वार्षिक खाता संलग्निका ए से अनुसूची-7, पृष्ठ 18 से 19)।

iii. निवेश (ए) निर्धारित धर्मस्व निधियों के सावधि जमा खातों में: ₹24,84,076/-

(अनुसूची -5, पृष्ठ 16), (बी) अन्य ₹110,14,49,283/- (अनुसूची -7, पृष्ठ 18), (सी)

ईपीएफ खाते: ₹9,81,60,524/- (पृष्ठ 45) और (डी) एनपीएस खाते: ₹4,26,68,915/-

(पृष्ठ 49)

(बी) निम्न मामलों में संबंधित बैंक से संराधन नहीं किया गया है।

i. समापन नगद पुस्तिका में शेष ₹ 2,24,93,051/- तेरह (13) चालू खातों से संबंधित (वार्षिक खाता संलग्निका ए से अनुसूची-7, पृष्ठ 18 से 20)

ii. समापन नगद पुस्तिका में शेष ₹ 12,70,64,931/- सैंतीस (37) चालू खातों में (वार्षिक खाता संलग्निका ए से अनुसूची-7, पृष्ठ 18 से 19)

6. निर्धारित/आवंटित/धर्मस्व निधि (अनुसूची-2, पृष्ठ 5) में ₹20,96,94,598/- समापन

शेष है, जबकि दर्शाए गये समापन शेष ₹ 16,15,16,196/- है। शेष में संपूर्ण विवरण में

4,81,78,402/- का पाया गया है।

7. अनुसूची 8 पृष्ठ 21 में सप्लायरों को ₹95,22,757/- अग्रिम दर्शाया गया है, जिसमें

2010-11 से आगे लायी गयी राशि ₹55,46,700/- भी है। इसे बाद में समीक्षा नहीं की गयी

और न वास्तविक समायोजन के लिए प्रभावी कदम उठाये गये, हालाँकि इस संबंध में पूर्व लेखा टिप्पणियों में कहा गया था।

8. अनुसूची -3(सी) और उपयोगिता प्रमाणपत्र में निम्न अंतर पाये गये, जिसे वार्षिक खातों में

उचित रूप से दर्शाया नहीं गया है, जैसा का विश्वविद्यालय की प्रक्रिया होती है।

क्र. स.	विवरण	वार्षिक खातों की अनुसूची 3 सी पृष्ठ 11 के अनुसार राशि	वार्षिक खातों की अनुसूची 10 सी पृष्ठ 13 के अनुसार राशि	अंतर
ए.	गैर योजना राजस्व खर्च	69,52,48,904/-	62,21,49,523/-	7,30,99,381/-
बी	वर्ष के दौरान प्राप्त गैर योजना अनुदान	51,19,54,000/-	62,21,49,523/-	11,01,95,523/-
क्र. स.	विवरण	वार्षिक खातों की अनुसूची 3 सी पृष्ठ 11 के अनुसार राशि	वार्षिक खातों की अनुसूची 10 सी पृष्ठ 13 के अनुसार राशि	उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार,
सी	गैर योजना राजस्व खर्च	69,52,48,904/-	62,21,49,523/-	61,91,66,000/-

9. निम्न बातों का उल्लेख वार्षिक खातों में नहीं किया गया है, जबकि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा दिये गये खातों के संशोधित प्रारूप (आरएफए) के अनुसार यह अनिवार्य है।

अनुसूची -34 (सी) आरएफए के पृष्ठ 15 और 13 के अनुसार ₹ 4,45,024/- के लिए अगोचर संपत्तियाँ (वार्षिक खातों के पृष्ठ 15, अनुसूची -4 (3), बी )

बी. अनुसूची 21 ( वार्षिक खाते के पृष्ठ 35) के अंतर्गत दर्ज राशि ₹ 2,00,23,080/- का विस्तार- 'अन्य' में दर्शाये गये अन्य व्यय के अनुसार, यदि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए ₹2,00,23,080/-, का खर्च गैर एनईटी के अंतर्गत निपटारा खातों में रखा गया है तो इसे आरएफए (पृष्ठ 49 संख्या 11.3) में अनिवार्य रूप से अनुसूची -16 (वार्षिक खातों के पृष्ठ 30) में शैक्षणिक व्यय के रूप में दर्ज करना चाहिए था।

10. संपूर्ण वर्ष (योजना) के दौरान योजना कंप्यूटर के कुल मूल्य में 5,72,384/- का अंतर आया है, वार्षिक खातों में यह राशि (₹38,07,435) है और लेखा को उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार (₹43,79,819), इसे संराधित नहीं किया गया है। इसके अलावा ₹14,30,960/- परिसंपत्तियों के मूल्य (वर्ष 2011-12 के दौरान ₹5,72,384/- का डब्ल्यूडीवी शेष) का मूल्यहास ₹8,58,576/- का (60 प्रतिशत) ही उपलब्ध कराया गया है और दूसरे वर्षों 2012-13 से 2015-16 (संपूर्ण वर्ष) का मूल्यहास ₹5,57,731 उपलब्ध नहीं कराया गया है।



11. वार्षिक खातों में निम्न अंतर हैं, जिन्हें संराधित नहीं किया गया।

क्र. स.	विवरण	आर एण्ड पी खाते के अनुसार	अनुसूची के अनुसार	अंतर
ए.	प्रायोजित परियोजना/ योजना के लिए आवृत्तियाँ	₹8,48,97,000 क्र.सं. 5 पृष्ठ 3	₹9,58,05,214 ढ(ऋण) अनुसूची 3 (ए) पृष्ठ 9ल	₹1,09,08,214
बी.	प्रायोजित परियोजना/ योजना के लिए भुगतान	शून्य	₹3,63,41,160 ढढ(ऋण) अनुसूची 3 (ए) पृष्ठ 9ल	₹3,63,41,160
सी.	प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति के लिए आवृत्तियाँ	₹1,76,97,000 (क्र. स. 6 पृष्ठ 3)	₹5,26,48,586 ढ(ऋण) अनुसूची 3 (बी) पृष्ठ 10ल	₹3,49,51,586
डी.	प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति के लिए भुगतान	शून्य	₹8,32,46,301 ढ(ऋण अनुसूची 3 (बी) पृष्ठ 10ल	₹8,32,46,301
ई.	निर्धारित/धर्मस्व निधियों से किये गये निवेश पर आय	₹18,47,000 ढ वार्षिक खातों के पृष्ठ 3 क्र. स.7 ए)	₹1,48,70,808 ढ अनुसूची -2, पृष्ठ 5, क्र. स. ए (सी)	₹1,30,23,808

12. लेखा एवं वार्षिक खातों के विस्तार में निम्न अंतर संराधित नहीं किये गये हैं।:

क्र. स.	विवरण	उपलब्ध लेखा के अनुसार	आय एवं व्यय खाता अनुसूची 13 पृष्ठ 26 के अनुसार	अंतर
ए.	स्टाफ क्वार्टर, दुकानों, स्टोर, रेस्टोरेंट तथा जेराक्स सेंटर से वसूला गया भाडा	₹6,96,302/-	शून्य	₹6,96,302/-
बी.	वापस पाया गया बिजली बिल	₹10,86,603/-	₹13,92,029/-	₹3,05,426/-
सी.	वापस पाया गया जल शुल्क	₹3,04,269/-	₹30,725/-	₹2,73,544/-

सी. अनुदान सहयोग

वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान सहयोग ₹56.56 करोड़ (योजना ₹5.36 करोड़, गैर योजना ₹51.20 करोड़ (मार्च 2016 के के दौरान प्राप्त ₹12.60 करोड़ को मिला

कर) पूर्व वर्ष का कुल मिलाकर गैर खर्चित शेष ₹68.17 करोड़ रुपये है और वर्ष के दौरान अर्जित आंतरिक प्राप्तियाँ एवं ब्याज क ₹25.85 करोड़<sup>1</sup> कुल ₹150.58.93 करोड़, विश्वविद्यालय ने ₹111.38 करोड़<sup>2</sup> का उपयोग किया, तथा ₹39.2 करोड़ रुपये का खेश 31 मार्च 2016 को गैर खर्चित रहा।

---

1. योजना रुपये 9.20 करोड़ एवं गैर योजना ₹ 16.65 करोड़

(1) बारहवीं योजना का सामान्य विकास राजस्व 18.88 करोड़ रुपये, पूंजी 22.98 करोड़ रुपये तथा गैर योजना 69.52 करोड़ रुपये पूर्ण कुल 111.38 करोड़ रुपये

डी. प्रबंधन का पत्र

पृथक लेखा रिपोर्ट में जिन बातों का अभाव है, वह एक प्रबंधन पत्र द्वारा शिकायत समाधान के लिए, अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के कुलपति के ध्यान में लायी गयी हैं।

v. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में परीक्षण के अनुसार, तुलनपत्र एवं लाभ एवं घाटा खाते/आय एवं व्यय खाते/प्राप्तियाँ एवं भुगताना खाते इस रिपोर्ट में खाता पुस्तकों के साथ समझौते के अंतर्गत रखे गये हैं।

vi. हमारे पक्ष में और हमे उपलब्ध उत्तम सूचनाओं तथा हमें दिये गये स्पष्टिकरणों में, इन वित्तीय बयानों को लेखा नितियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए तथा जहाँ तक उपर्युक्त एवं लेखा रिपोर्ट संलग्निका में उल्लेखित महत्वपूर्ण मुद्दों का संबंध है, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, स्वच्छ एवं वास्तविक दृष्टि प्रदान की गयी है।

ए. अब तक तुलनपत्र का संबंध है, अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के 31 मार्च 2016 तक के मामलों को शामिल किया गया है।,

बी. अब तक संबंधित तिथि पर समाप्त वर्ष के घाटायुक्त आय एवं व्यय खातों का मामला है।

अजायब सिंह

महा लेखा निदेशक (मध्य)

## संलग्निका

1. **आंतरिक लेखा की पर्याप्तता:** वर्ष 2012-13 के लेन देन की जानकारी को शामिल करते हुए वर्ष 2013-14 का आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया है। वर्ष 2013-14 का आंतरिक लेखा परीक्षण पूरा बताया गया है और इस की अंतरिम मसौदा रिपोर्ट कुलपति को भेजी गयी है, ताकि संबंधित विभागों को भेजी जाए। वर्ष 2014-15 के लेने देन के आंतरिक लेखा-परीक्षण पर आधारित वर्ष 2015-16 की आंतरिक लेखा योजना जारी है। विश्वविद्यालय और उसके लखनऊ और शिलांग दो कैंपस का चरणबद्ध तरीके से आंतरिक लेखा परीक्षण व समय समय पर निर्धारित समयावधि में खातों की जाँच के लिए आंतरिक लेखा प्रबंधन पर्याप्त रूप से मज़बूत नहीं है, इसके अलावा विश्वविद्यालय ने लेखा एवं खाता पुस्तकों का आंतरिक रखरखाव नहीं है।
2. **आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता :** लेखा में आंतरिक नियंत्रण पद्धति पर्याप्त स्तर पर मौजूद है :
  - i. विश्वविद्यालय और उसके लखनऊ और शिलांग दो कैंपस का चरणबद्ध तरीके से आंतरिक लेखा परीक्षण व समय समय पर निर्धारित समयावधि में खातों की जाँच के लिए आंतरिक लेखा प्रबंधन पर्याप्त रूप से मज़बूत नहीं है,
  - ii. पूर्व की पृथक लेखा रिपोर्ट में ध्यान दिलाने के बावजूद स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जांच नहीं की गयी है।
  - iii. पुस्तकालय के किताबों की व्यक्तिगत जांच नहीं की गयी है।
  - iv. वस्तुसूची की वार्षिक व्यक्तिगत जांच के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।
  - v. प्राप्तियोग्य खातों के उचंत और दावे संराधित नहीं किये गये हैं और
  - vi. बैंक के खातों का संराधित नहीं किये गये।
3. **स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जांच पद्धति :** पूर्व लेखा टिप्पणियों के बावजूद 31 मार्च तक मौजूद स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जांच नहीं की गयी है और विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत जांच के लिए समितियों का गठन नहीं किया गया है। संबंधित विभागों की वस्तुओं को उनकी उपलब्धता के अनुसार, स्थिर परिसंपत्तियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, जिसे व्यक्तिगत जाँच मान लिया गया है। जीएफआर के नियम 194 के अनुसार, पुस्तकालय की किताबों को वार्षिक खातों में नहीं दर्शाया गया और उसकी व्यक्तिगत जाँच करवायी गयी है। इस तरह व्यक्तिगत जाँच पर्याप्त नहीं है और न ही इससे व्यक्तिगत जाँच नियम 2005 के नियम 192 एवं 194 का पालन होता है। विश्वविद्यालय ने न ही विभागीय स्तर पर स्थिर परिसंपत्तियों का रजिस्टर रखा है और न ही केंद्रीयकृत रूप से समायोजित एकीकृत किया गया है।
4. **वस्तुसूची के व्यक्तिगत जाँच की पद्धति :** वस्तुसूची की वार्षिक व्यक्तिगत जाँच की पद्धति उपलब्ध नहीं है और न ही इसके लिए समितियाँ बनायी गयी हैं। हालाँकि इससे पहले भी इस ओर ध्यान दिलाया गया था।
5. **कानूनी देयता के भुगतान में नियामक :** कानूनी देय नियमित रूप से अदा किये जा चुके हैं।

(वी.एस. मूर्ति)

उप निदेशक/ केंद्रीय व्यय लेखा परीक्षा

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष की पृथक लेखा रिपोर्ट के उत्तर

क्र. सं.	लेखा परीक्षण	प्रबंधन के उत्तर
1.4	लेखा टिप्पणियाँ	
ए.	तुलनपत्र	
ए 1.	निधियों के स्रोत	
ए 1.1	चालू देयताएँ एवं प्रावधान : ₹178.67 करोड़ (अनुसूची -3)	
ए 1.1.1	इसमें आंतरिक आय निधि के रूप में समापन शेष राशि रुपये ₹1,22,09,893/-शामिल है, जो आय एवं व्यय खाते के आय में दर्ज करने के बजाय अनुचित रूप से प्रायोजित कार्यक्रम के तहत दर्ज की गयी है, इसके परिणाम स्वरूप चालू देयताओं में अतियुक्ति हुई है और ₹ 1.22 करोड़ रुपये आय की न्यूनोक्ति तथा ₹ 1.22 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है।	अनौपचारिक पाठ्यक्रमों से प्राप्त आय विश्वविद्यालय कानून के नियम 20 में दिये गये प्रतिशत नियम के अनुसार, विभिन्न विकासात्मक निधियों, छात्र कल्याण निधि, शिक्षक कल्याण निधि आदि के लिए प्रारंभिक रूप से आंतरिक खाता निधियों में स्थानांतरित की गयी है, इसलिए इस राशि को विश्वविद्यालय की आय में शामिल नहीं किया जा सकता। कृपया लेखाकार यल जान लें कि चालू देयताओं एवं आय में कोई न्यूनोक्ति नहीं हुई है। .
ए 1.1.2	अन्य देयताओं के अंतर्गत ₹ 24,82,73,938 रुपये की समापन शेष राशि, जिसमें ₹ 13,58,087 रुपये का उचंत शेष भी शामिल है, पूर्व में की गयी टिप्पणियों के बावजूद संबंधित खातों में समायोजित नहीं किया गया है। इस स्थिति की वास्तविकता का विवरण लेखा पर टिप्पणियों में नहीं किया गया है।	पद के सय विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इस तरह के लेन देन का शेष अस्थायी रूप से उचंत खातों में शामिल किया गया है और बाद में समय पर चालान समाधान संराधन द्वारा समायोजित किया जाएगा। इसलिए उचंत खातों का रखरखाव सामान्य है और प्रबंधन द्वारा अंतिम समाधान तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी।
ए.2.1	स्थिर परिसंपत्तियाँ ₹ 65.76 करोड (अनुसूची 4)	
ए.2.1.1	31,898 रुपए के मूल्यहास (15%) के रूप में ₹ 2,12,650 रुपये के कैमरा और एलईडी प्रोजेक्टर दर्शाये गये हैं, इस वर्ष के दौरान उपयोगिता के आधार पर ₹ 1,70,120 रुपये (80%) मूल्यहास इलेक्ट्रानिक उपकरण के रूप में दर्शाये गये, जबकि इसे कार्यालय उपकरण के रूप में ₹ 1,38,222 रुपये मूल्य हास दर्शाना चाहिए था। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 1.38 लाख रुपये की स्थिर परिसंपत्तियों में न्यूनोक्ति और व्यय में इतनी ही	परिसंपत्तियों का उचित वर्गीकरण किया गया है और आय कर अधिनियम के अनुसार, मूल्यहास उपलब्ध कराया गया है। स्थिर परिसंपत्तियों में कोई न्यूनोक्ति नहीं है और ₹ 1.38लाख रुपये आय पर अतियुक्ति अथवा घाटा नहीं है।

	अतियुक्ति हुई दर्ज हुई है और ₹ 1.38 लाख रुपये का अधिक घाटा भी दर्ज हुआ है।	
ए.2.2	ऋण, अग्रिम एवं जमा ₹ 35.16 करोड़ (अनुसूची -8)	
ए.2.2.1	प्रारंभिक शेष ₹ 4,77,15,439 रुपये सहित ₹ 21,13,44,645 रुपये के प्राप्तियोग्य दावों का विभिन्न खातों में फर्क पाया गया है, इन्हें संबंधित निधि खातों में स्थानांतरित नहीं किया गया है और न ही अब तक समायोजित किया गया है।	₹ 7.8 करोड़ रुपये के प्रारंभिक शेष ₹ 4.77 करोड़ किया गया है। पुराने शेषका संराधन लंबित अग्रिम के समाधान तक प्रबंधन की निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है।
बी.	<b>GENERAL</b>	
1	पूर्व लेखा टिप्पणियों ( वर्ष 2013-14 एवं वरार्ष 2014-15 की पृथक लेखा रिपोर्ट में) के बावजूद भूमि की विस्तृत जानकारी 1) आन्ध्र प्रदेश सरकार से मार्च 2009 में नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली मंडल स्थित जाललपुर ग्राम में आवंटित 90 एकड भूमि (हस्तांतरण लंबित) एवं 2) केरल सरकार द्वारा राज्य में नया कैम्पस स्थापित करने के लिए प्राप्त की गयी 75 एकड भूमि का उल्लेख लेखा टिप्पणियों में उचित रूप से शामिल नहीं है।	लेखाकार को सूचित किया जाता है कि यह भूमि विश्वविद्यालय के कब्जे में नहीं है। इसलिए लेखा नीतियों के अनुसार ही उसका विवरण दिया गया है।
2	आई टी अधिनियम तथा विश्वविद्यालय नीति संख्या 3.3 के अनुसार, आवास (छात्रावास भवन सहित) एवं कार्यालय भवन पर हासिल मूल्य पद्धति के आधार पर क्रमशः 5 एवं 10 प्रतिशत मूल्यहास दर्ज किया जाना चाहिए। पूर्व लेखा टिप्पणियों के बावजूद इसकी समीक्षा नहीं की गयी है और इस संबंध में विश्व विद्यालय नीति का उल्लेख भी वार्षिक खातों में उचित रूप से नहीं किया गया है।	पुराने आवासीय क्वार्टर सीफल द्वारा 2007 में विश्वविद्यालय को दिये गये हैं। आज उन भवनों का मूल्यहास शून्य है। लेखा के सुझाव के अनुसार, आईटी अधिनियम के अनुसार, नये भवनों का उचित दर भविष्य में उपलब्ध कराया जाएगा।
3	विश्वविद्यालय के रिकार्ड्स( ₹23,53,568/-) के अनुसार, मूल्य में अंतर है एवं वार्षिक खातों के अनुसार, सकल ब्लॉक मूल्य वाहनों की	लेखा व्यवहार के अनुसार, व्यय की प्रकृति जैसे वह पूंजीगत हो अथवा राजस्व पहचान की जाती है और वितरक को उसके भुगतान के लिए आदेश

	<p>वास्तविक स्थिति (₹65,60,828/-, । अनुसूची -4 पृष्ठ 12) को नहीं दर्शाता है</p>	<p>जारी किया जाता है। इस तरह की परिसंपत्तियाँ मूल्य के साथ अपने आप संबंधित परिसंपत्ति खाते में स्थानांतरित हो जाती है। इस तरह की परिसंपत्तियों का आकलित मूल्य उसके ग्रास ब्लॉक को दर्शाता है, जो वार्षिक खातों में स्थिर परिसंपत्तियों की अनुसूची में शामिल किया जाता है। इस तरह की परिसंपत्तियों का रिकार्ड अथवा रजिस्टर संबंधित विभागों द्वारा रखा जाए तो उसमें विसंगतियों के कारण अधिक परिशुद्धता नहीं होती, इसलिए लेखाकार को सूचित किया जाता है कि लेखा सिद्धांतों के आधार पर ही रिकार्ड का रखरखाव संबंधित विभागों द्वारा नहीं किया जाता।</p>
4	<p>विश्वविद्यालय ने वर्ष के दौरान 1887 बेकार सामग्री ( जिसमें कंप्यूटर संबंधित सामग्री, कैसेट रिकार्ड, एलसीडी प्रोजेक्टर, एयर कूलर, एरय कंडिशनर, यूपीएस, जेराक्स मशीन, प्रिंटर एवं फैक्स मशीन) को हटा दिया है। इसके बावजूद इन हटायी गयी सामग्री का सकल मूल्य कुल मूल्यहास के साथ उचित रूप से स्थिर परिसंपत्ति सूची में समायोजित नहीं किया गया है। इसके कारण बेकार वस्तुओं के निपटारे एवं उसके मूल्य एवं स्थिर परिसंपत्तियों अनुसूची 4 में समायोजित न करने के कारण निष्पक्ष खातों के लिए लेखा नीतियों में वास्तविक स्थिति नहीं दर्शायी जा सकी है।</p>	<p>लेखा व्यवहारा के अनुसार, सभी अन्य सामग्रियाँ जो अनुपयोगी हो जाती है, उनको समय समय पर नीलामी द्वारा हटाया जाता है और उनके द्वारा प्राप्त आय अन्य आय के रूप में दर्शायी जाती है, सिलिए लेखा को सूचित जाता है कि यह हर वर्ष का नियमित अभ्यास है। इसतरह इसका समायोजन सामान्य स्वीकार्य खाता सिद्धांतों के अनुसार उसका अलग से या समूह में वर्गीकरण नहीं किया जाता।</p>
5	<p>(ए) निम्न मामलों में संबंधित बैंकों का पुष्टिकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. 31 मार्च 2016 को बैंक शेष, तेरह (13) चालू खातों में (वार्षिक खाता संलग्निका ए से अनुसूची-7, पृष्ठ 18 से 20).</li> <li>ii. 31 मार्च 2016 को बैंक शेष, सैंतीस (37) चालू खातों में (वार्षिक खाता संलग्निका ए से अनुसूची-7, पृष्ठ 18 से 19)।</li> <li>iii. निवेश (ए) निर्धारित धर्मस्व निधियों के सावधि जमा</li> </ul>	<p>विश्वविद्यालय नेटबैंकिंग का संचालन कर रहा है और समय समय पर शेष का संराधन किया जाता है, जैसा कि 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष को किया गया है। सुधार के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद बैंक शेष सहमति प्रमाण प्राप्त किया जाएगा।</p>

	<p>खातों में: ₹24,84,076/- (अनुसूची -5, पृष्ठ 16),  (बी) अन्य ₹110,14,49,283/- (अनुसूची -7,  पृष्ठ 18), (सी) ईपीएफ खाते: ₹9,81,60,524/-  (पृष्ठ 45) और (डी) एनपीएस खाते:  ₹4,26,68,915/- (पृष्ठ 49)</p> <p>(बी) निम्न मामलों में संबंधित बैंक से संराधन नहीं किया गया है।</p> <p>i. समापन नगद पुस्तिका में शेष ₹ 2,24,93,051/-  तेरह (13) चालू खातों से संबंधित (वार्षिक खाता  संलग्निका ए से अनुसूची-7, पृष्ठ 18 से 20)</p> <p>ii. समापन नगद पुस्तिका में शेष ₹ 12,70,64,931/-  सैंतीस (37) चालू खातों में (वार्षिक खाता संलग्निका  ए से अनुसूची-7, पृष्ठ 18 से 19)</p>	
6	<p>निर्धारित/आवंटित/धर्मस्व निधि (अनुसूची-2, पृष्ठ 5) में  ₹20,96,94,598/- समापन शेष है, जबकि दर्शाए गये समापन शेष  ₹16,15,16,196/- है। शेष में संपूर्ण विवरण में  ₹4,81,78,402/- का पाया गया है।</p>	<p>टिप्पणी दर्ज की गयी है, जारी वित्तीय वर्ष के दौरान  सुधार किया जाएगा।</p>
7	<p>अनुसूची 8 पृष्ठ 21 में सप्लायरों को ₹95,22,757/- अग्रिम  दर्शाया गया है, जिसमें 2010-11 से आगे लायी गयी राशि  ₹55,46,700/- भी है। इसे बाद में समीक्षा नहीं की गयी और न  वास्तविक समायोजन के लिए प्रभावी कदम उठाये गये, हालाँकि इस  संबंध में पूर्व लेखा टिप्पणियों में कहा गया था।</p>	<p>टिप्पणी दर्ज की गयी है, रिकार्ड की जाँच के बाद  आवश्यक समायोजन किया जाएगा और जारी  वित्त वर्ष में उसमें सुधार कर लिया जाएगा।</p>



8	<p>अनुसूची -3(सी) और उपयोगिता प्रमाणपत्र में निम्न अंतर पाये गये, जिसे वार्षिक खातों में उचित रूप से दर्शाया नहीं गया है, जैसा का विश्वविद्यालय की प्रक्रिया होती है।:</p> <table border="1" data-bbox="230 541 881 1283"> <thead> <tr> <th>क्र. स.</th> <th>विवरण</th> <th>वार्षिक खातों की अनुसूची 3 सी पृष्ठ 11 के अनुसार राशि</th> <th>वार्षिक खातों की अनुसूची 10सी पृष्ठ 13 के अनुसार राशि</th> <th>अंतर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ए.</td> <td>गैर योजना राजस्व खर्च</td> <td>69,52,48,904</td> <td>62,21,49,523</td> <td>7,30,99,381</td> </tr> <tr> <td>बी</td> <td>वर्ष के दौरान प्राप्त गैर योजना अनुदान</td> <td>51,19,54,000</td> <td>62,21,49,523</td> <td>11,01,95,523</td> </tr> <tr> <th>क्र. स.</th> <th>विवरण</th> <th>वार्षिक खातों की अनुसूची 3 सी पृष्ठ 11 के अनुसार राशि</th> <th>वार्षिक खातों की अनुसूची 10सी पृष्ठ 13 के अनुसार राशि</th> <th>उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार,</th> </tr> <tr> <td>सी</td> <td>गैर योजना राजस्व खर्च</td> <td>69,52,48,904</td> <td>62,21,49,523</td> <td>61,91,66,000</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. स.	विवरण	वार्षिक खातों की अनुसूची 3 सी पृष्ठ 11 के अनुसार राशि	वार्षिक खातों की अनुसूची 10सी पृष्ठ 13 के अनुसार राशि	अंतर	ए.	गैर योजना राजस्व खर्च	69,52,48,904	62,21,49,523	7,30,99,381	बी	वर्ष के दौरान प्राप्त गैर योजना अनुदान	51,19,54,000	62,21,49,523	11,01,95,523	क्र. स.	विवरण	वार्षिक खातों की अनुसूची 3 सी पृष्ठ 11 के अनुसार राशि	वार्षिक खातों की अनुसूची 10सी पृष्ठ 13 के अनुसार राशि	उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार,	सी	गैर योजना राजस्व खर्च	69,52,48,904	62,21,49,523	61,91,66,000	<p>लेखा को सूचित किया जाता है कि यूजीसी द्वारा प्राप्त तथा उपयोग में लायी गयी निधियाँ संबंधित खातों में में दर्ज की गयी हैं, जिसका उल्लेख वार्षिक खातों की अनुसूची 3 से 10 में किया गया है। सामान्य लेखा निति सिद्धांतों के अनुसार अलग से विवरण नहीं दिया गया है।</p>
क्र. स.	विवरण	वार्षिक खातों की अनुसूची 3 सी पृष्ठ 11 के अनुसार राशि	वार्षिक खातों की अनुसूची 10सी पृष्ठ 13 के अनुसार राशि	अंतर																							
ए.	गैर योजना राजस्व खर्च	69,52,48,904	62,21,49,523	7,30,99,381																							
बी	वर्ष के दौरान प्राप्त गैर योजना अनुदान	51,19,54,000	62,21,49,523	11,01,95,523																							
क्र. स.	विवरण	वार्षिक खातों की अनुसूची 3 सी पृष्ठ 11 के अनुसार राशि	वार्षिक खातों की अनुसूची 10सी पृष्ठ 13 के अनुसार राशि	उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार,																							
सी	गैर योजना राजस्व खर्च	69,52,48,904	62,21,49,523	61,91,66,000																							
9	<p>निम्न बातों का उल्लेख वार्षिक खातों में नहीं किया गया है, जबकि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा दिये गये खातों के संशोधित प्रारूप (आरएफए) के अनुसार यह अनिवार्य है।</p> <p>अनुसूची -34 (सी) आरएफए के पृष्ठ 15 और 13 के अनुसार ₹4,45,024/- के लिए अगोचर संपत्तियाँ (वार्षिक खातों के पृष्ठ 15, अनुसूची -4 (3), बी )</p> <p>बी. अनुसूची 21 ( वार्षिक खाते के पृष्ठ 35) के अंतर्गत दर्ज राशि ₹2,00,23,080/- का विस्तार- 'अन्य' में दर्शाये गये अन्य व्यय के अनुसार, यदि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए</p>	<p>अगोचर परिसंपत्तियों का विवरण अनुसूची 4 (3) ( वार्षिक खातों की पृष्ठ संख्या 15 पर है। योजना 397360 रुपये, गैर योजना 9996 रुपये, शिलांग 3037,लखनऊ 33411 रुपये एवं ईएमएमआरसी.1220 रुपये कुल 4,45,024/- रुपये।</p> <p>लेखा को सूचित किया जाता है कि गैर नेट फेलोशिप लेखा नितियों के अनुसार, अन्य आय के अंतर्गत वर्गीकृत है। नये प्रारूप के अनुसार, यह व्य शैक्षणिक खर्च के अंतर्गत नहीं आता है।</p>																									

	₹2,00,23,080/-, का खर्च गैर एनईटी के अंतर्गत निपटारा खातों में रखा गया है तो इसे आरएफए (पृष्ठ 49 संख्या 11.3) में अनिवार्य रूप से अनुसूची -16 (वार्षिक खातों के पृष्ठ 30) में शैक्षणिक व्यय के रूप में दर्ज करना चाहिए था।																										
10	संपूर्ण वर्ष (योजना) के दौरान योजना कंप्यूटर के कुल मूल्य में ₹5,72,384/- का अंतर आया है, वार्षिक खातों में यह राशि (₹38,07,435) है और लेखा को उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार (₹43,79,819), इसे संराधित नहीं किया गया है। इसके अलावा ₹14,30,960/- परिसंपत्तियों के मूल्य (वर्ष 2011-12 के दौरान ₹5,72,384/-का डब्ल्यूडीवी शेष) का मूल्यहास ₹8,58,576/- का (60 प्रतिशत) ही उपलब्ध कराया गया है और दूसरे वर्षों 2012-13 से 2015-16 (संपूर्ण वर्ष) का मूल्यहास ₹5,57,731 उपलब्ध नहीं कराया गया है।	लेखा नीतियों के अनुसार, वर्ष के दौरान पूंजीकृत किये गये हैं, और योग के रूप में दिखाये गये हैं। मूल्यहास उसके उपयोगिता की तिथि से आकलित किया जाएगा। उपलब्ध परिसंपत्तियों पर मूल्यहास उचित है। इसलिए लेखा को सूचित किया जाता है कि व्य पर किसी प्रकार की अतिव्यक्ति नहीं हुई है और परिसंपत्तियों की न्यूनोक्ति हुई है।																									
11	वार्षिक खातों में निम्न अंतर हैं, जिन्हें संराधित नहीं किया गया।	आवृत्तियाँ एवं भुगतान में जो आंकड़े हैं, वह सब वर्ष के दौरान बैंक की एवं नगद पुस्तिका में लेनदेन के अनुसार है। जबकि तुलन पत्र में की अनुसूचियों में जो आंकड़े हैं वह प्रोद्भवन आधार पर शामिल किये गये हैं। इसलिए इन दोनों आंकड़ों का संराधन सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार नहीं किया गया है।																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. स.</th> <th>विवरण</th> <th>आर एण्ड पी खाते के अनुसार</th> <th>अनुसूची के अनुसार</th> <th>अंतर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ए.</td> <td>प्रायोजित परियोजना/ योजना के लिए आवृत्तियाँ</td> <td>8,48,97,000 क्र.सं. 5 पृष्ठ 3</td> <td>9,58,05,214 ढ(ऋण अनुसूची 3 (ए) पृष्ठ 9ल</td> <td>1,09,08,214</td> </tr> <tr> <td>बी.</td> <td>प्रायोजित परियोजना/ योजना के लिए भुगतान</td> <td>शून्य</td> <td>3,63,41,160 ढढ(ऋण अनुसूची 3 (ए) पृष्ठ 9ल</td> <td>3,63,41,160</td> </tr> <tr> <td>सी.</td> <td>प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति के लिए आवृत्तियाँ</td> <td>1,76,97,000 (क्र. स. 6 पृष्ठ 3)</td> <td>5,26,48,586 ढ(ऋण अनुसूची 3 (बी) पृष्ठ 10ल</td> <td>3,49,51,586</td> </tr> <tr> <td>डी.</td> <td>प्रायोजित फेलोशिप एवं</td> <td>शून्य</td> <td>8,32,46,301</td> <td>8,32,46,301</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. स.	विवरण	आर एण्ड पी खाते के अनुसार	अनुसूची के अनुसार	अंतर	ए.	प्रायोजित परियोजना/ योजना के लिए आवृत्तियाँ	8,48,97,000 क्र.सं. 5 पृष्ठ 3	9,58,05,214 ढ(ऋण अनुसूची 3 (ए) पृष्ठ 9ल	1,09,08,214	बी.	प्रायोजित परियोजना/ योजना के लिए भुगतान	शून्य	3,63,41,160 ढढ(ऋण अनुसूची 3 (ए) पृष्ठ 9ल	3,63,41,160	सी.	प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति के लिए आवृत्तियाँ	1,76,97,000 (क्र. स. 6 पृष्ठ 3)	5,26,48,586 ढ(ऋण अनुसूची 3 (बी) पृष्ठ 10ल	3,49,51,586	डी.	प्रायोजित फेलोशिप एवं	शून्य	8,32,46,301	8,32,46,301	
क्र. स.	विवरण	आर एण्ड पी खाते के अनुसार	अनुसूची के अनुसार	अंतर																							
ए.	प्रायोजित परियोजना/ योजना के लिए आवृत्तियाँ	8,48,97,000 क्र.सं. 5 पृष्ठ 3	9,58,05,214 ढ(ऋण अनुसूची 3 (ए) पृष्ठ 9ल	1,09,08,214																							
बी.	प्रायोजित परियोजना/ योजना के लिए भुगतान	शून्य	3,63,41,160 ढढ(ऋण अनुसूची 3 (ए) पृष्ठ 9ल	3,63,41,160																							
सी.	प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति के लिए आवृत्तियाँ	1,76,97,000 (क्र. स. 6 पृष्ठ 3)	5,26,48,586 ढ(ऋण अनुसूची 3 (बी) पृष्ठ 10ल	3,49,51,586																							
डी.	प्रायोजित फेलोशिप एवं	शून्य	8,32,46,301	8,32,46,301																							

	छात्रवृत्ति के लिए भुगतान		द(ऋण अनुसूची 3 (बी) पृष्ठ 10ल	
ई.	निर्धारित/धर्मस्व निधियों से किये गये निवेश पर आय	18,47,000 द वार्षिक खातों के पृष्ठ 3 क्र. स.7 ए)	1,48,70,80 8 द अनुसूची -2, पृष्ठ 5, क्र. स. ए(सी)	1,30,23,808

12 लेखा एवं वार्षिक खातों के विस्तार में निम्न अंतर संराधित नहीं किये गये हैं।

क्र. स.	विवरण	उपलब्ध लेखा के अनुसार	आय एवं व्यय खाता अनुसूची 13 पृष्ठ 26 के अनुसार	अंतर
ए.	स्टाफ क्वार्टर, दुकानों, स्टोर, रेस्टोरेंट तथा जेराक्स सेंटर से वसूला गया भाड़ा	6,96,302/-	शून्य	6,96,302/-
बी.	वापस पाया गया बिजली बिल	10,86,603/-	13,92,029/-	3,05,426/-
सी.	वापस पाया गया जल शुल्क	3,04,269/-	30,725/-	2,73,544/-

आय एवं व्यय खातों की अनुसूची -13 के अनुसार, भवनों, छात्रावासों, अतिथिगृहों, दुकानों का भाड़ा, लायसेंस फी ₹ 43,79,127 है, यह शून्य नहीं है। इसी तरह वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त बिजली पानी बिल वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर दर्ज की गयी हैं। लेखा को सूचित किया जाता है कि रजिस्टर/ रिकार्ड में दर्ज विवरण संबंधित विभागों द्वारा रखा गया है, इसलिए खातों में दर्ज आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाते, क्योंकि उनमें प्राप्ति योग्य उधार भी है, इसलिए वे तुलनात्मक नहीं हैं।

सी.	अनुदान सहयोग	
	<p>वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान सहयोग ₹56.56 करोड़ (योजना ₹5.36 करोड़, गैर योजना ₹51.20 करोड़ (मार्च 2016 के के दौरान प्राप्त ₹12.60 करोड़ को मिला कर) पूर्व वर्ष का कुल मिलाकर गैर खर्चित शेष ₹68.17 करोड़ रुपये है और वर्ष के दौरान अर्जित आंतरिक प्राप्तियाँ एवं ब्याज क 25.85 करोड़<sup>1</sup> कुल ₹150.59 करोड़, विश्वविद्यालय ने ₹111.38 करोड़ का उपयोग किया, तथा ₹39.2 करोड़ रुपये का खेश 31 मार्च 2016 को गैर खर्चित रहा।</p>	वास्तविक स्थिति, कोई टिप्पणी नहीं
डी.	प्रबंधन का पत्र	
	<p>पृथक लेखा रिपोर्ट में जिन बातों का अभाव है, वह एक प्रबंधन पत्र द्वारा शिकायत समाधान के लिए, अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के कुलपति के ध्यान में लायी गयी हैं।</p>	<p>लेखा टिप्पणियों को प्रबंधन के उत्तर पत्र संख्या. EFLU/VCO/B.25/2016 तिथि: 01.11.2016. में दिये गये हैं।</p>

संलग्निका के उत्तर

क्र. सं.	लेखा परीक्षण	प्रबंधन के उत्तर
1	<p><b>आंतरिक लेखा की पर्याप्तता:</b> वर्ष 2012-13 के लेन देन की जानकारी को शामिल करते हुए वर्ष 2013-14 का आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया है। वर्ष 2013-14 का आंतरिक लेखा परीक्षण पूरा बताया गया है और इस की अंतरिम मसौदा रिपोर्ट कुलपति को भेजी गयी है, ताकि संबंधित विभागों को भेजी जाए। वर्ष 2014-15 के लेने देन के आंतरिक लेखा परीक्षण पर आधारित वर्ष 2015-16 की आंतरिक लेखा योजना जारी है। विश्वविद्यालय और उसके लखनऊ और शिलांग दो कैम्पस का चरणबद्ध तरीके से आंतरिक लेखा परीक्षण व समय समय पर निर्धारित समयावधि में खातों की जाँच के लिए आंतरिक लेखा प्रबंधन पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, इसके अलावा विश्वविद्यालय ने लेखा एवं खाता पुस्तकों का आंतरिक रखरखाव नहीं है।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति पर आये आंतरिक लेखा अधिकारी वर्ष के दौरान अपने मूल विभाग को लौट गये है, विश्वविद्यालय उस पद को शीघ्र भरने की प्रक्रिया में है। साथ ही आंतरिक लेखा और उसके संचालन में अधिक प्रार्याप्तता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मसौदा लेका और खाता पुस्तकों के रखरखाव के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में सामान्य वित्त नियम और भारत सरकार के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है।</p>
2	<p><b>आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता :</b> लेखा में आंतरिक नियंत्रण पद्धति पर्याप्त स्तर पर मौजूद है :</p> <p>i. विश्वविद्यालय और उसके लखनऊ और शिलांग दो कैम्पस का चरणबद्ध तरीके से आंतरिक लेखा परीक्षण व समय समय पर निर्धारित समयावधि में खातों की जाँच के लिए आंतरिक लेखा प्रबंधन पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है,</p> <p>ii. पूर्व की पृथक लेखा रिपोर्ट में ध्यान दिलाने के बावजूद स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जांच नहीं की गयी है।</p> <p>iii. पुस्तकालय के किताबों की व्यक्तिगत जांच नहीं की गयी है।</p> <p>iv. वस्तुसूची की वार्षिक व्यक्तिगत जांच के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।</p> <p>v. प्राप्तियोग्य खातों के उचंत और दावे संराधित नहीं किये गये हैं और</p> <p>vi. बैंक के खातों का संराधित नहीं किये गये।</p>	<p>i. ईएफएलयू के सभी विभागों का आंतरिक लेखा 2013-14 तक किया गया है और वर्ष 2015-16 के लिए शीघ्र शुरू किया जाएगा।</p> <p>ii. <u>iv</u> के लिए कृपया निम्न क्रम सं. की टिप्पणी देखी जाए।</p> <p><u>v. &amp; vi.</u> उचंत, प्राप्ति योग्य दावे, बैंक खाते और उनके क्लेरेंस का संराधन प्रबंधन नियमित प्रक्रिया है। इस संबंध में ए 1.1.2, ए 2.2.1 एवं बी.5 की टिप्पणियों का संदर्भ लिया जाए।</p>
3	<p><b>स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जांच पद्धति :</b> पूर्व लेखा टिप्पणियों के बावजूद 31 मार्च तक मौजूद स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जांच नहीं की गयी है और विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत जांच के लिए समितियों का गठन नहीं किया गया है। संबंधित विभागों की वस्तुओं को उनकी उपलब्धता के अनुसार, स्थिर परिसंपत्तियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, जिसे व्यक्तिगत जाँच मान लिया गया है। जीएफआर के नियम 194 के अनुसार, पुस्तकालय की किताबों को वार्षिक खातों में नहीं दर्शाया गया और उसकी व्यक्तिगत जाँच करवायी गयी है। इस तरह व्यक्तिगत जाँच पर्याप्त नहीं है और न ही इससे व्यक्तिगत जाँच नियम 2005 के नियम 192 एवं 194 का पालन होता है। विश्वविद्यालय ने न ही विभागीय स्तर पर स्थिर परिसंपत्तियों का रजिस्टर रखा है और न ही केंद्रीयकृत रूप से</p>	<p>लेखा अभ्यास के अनुसार, भवन, फर्नीचर, वाहन आदि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर होने वाले व्यय को वितरक अथवा ठेकेदार को बिल की मंजूरी के समय पूंजीगत किया जाता है और अपने आप संबंधित स्थिर खातों में उसका स्थानांतरण किया जाता है व तुलनपत्र की अनुसूची में दिखाया जाता है। इसलिए विश्वविद्यालय अलग से विभाग स्तर पर और समैकित केंद्रीयकृत स्थिर परिसंप आधार पर रजिस्टर नहीं रखती है। ग्रास ब्लॉक के विवरण के अनुसार, स्थिर संपत्तियों पर मूल्यहास और नेट ब्लॉक वार्षिक खातों की अनुसूची 4 में उपलब्ध कराया गया है। यही तर्कयुक्त अभ्यास का तरीका है।</p> <p>लेखा को सूचित किया जाता है कि बिस्तर, कुर्सियाँ, रेफ्रिजरेटर, एसी, टेबल लायब्ररी की किताबें फर्नीचर आदि की जानकारी</p>

	समायोजित एकीकृत किया गया है।	सामान्य वित्त नियमों विभागों द्वारा रखी जाती है और उनकी व्यक्तिगत जाँच तथा आंतरिक नियंत्रण पद्धति की प्रभावी आंतरिक व्यवस्था है। वर्ष 2014-15 के दौरान इस तरह की परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जाँच की गयी है और इसके संबंधित रिकार्ड भी लेखा प्रतिनिधियों के सामने रखे गये। वर्ष 2015-16 के लिए व्यक्तिगत जाँच प्रक्रिया जारी है। इसलिए परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जाँच की व्यवस्था मौजूद है।
4	वस्तुसूची के व्यक्तिगत जाँच की पद्धति : वस्तुसूची की वार्षिक व्यक्तिगत जाँच की पद्धति उपलब्ध नहीं है और न ही इसके लिए समितियाँ बनायी गयी हैं। हालाँकि इससे पहले भी इस ओर ध्यान दिलाया गया था।	कृपया लेखा उपरयुक्त अनुच्छेद 3 की टिप्पणियों का संदर्भ ले।
5	कानूनी देयता के भुगतान में नियामक : कानूनी देय नियमित रूप से अदा किये जा चुके हैं।	कोई टिप्पणी नहीं

GA 4129 214

Finance Officer  
The English and Foreign Languages University  
Hyderabad-500 007.

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय

हैदराबाद - 500 007

वार्षिक लेखा 2015-16

अनुसूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	तुलन पत्र	1
2	आय एवं व्यय खाते	2
3	आवृत्तियाँ एवं भुगतान खाते	3
4	वित्तीय विवरणों की अनुसूचीया	4 - 42
5	भविष्य निधि स्वतंत्र लेखाकार की रिपोर्ट	43 - 44
6	भविष्य निधि तुलन पत्र	45
7	भविष्य निधि आय एवं व्यय खाता	46
8	भविष्य निधि आवृत्तियाँ एवं भुगतान खाता	47
9	भविष्य निधि लेखा पर टिप्पणियाँ	48
10	एनपीएस तुलन पत्र	49
11	एनपीएस आय एवं व्यय खाता	50
12	एनपीएस आवृत्तियाँ एवं भुगतान खाता	51
13	एनपीएस लेखा पर टिप्पणियाँ	52

**अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय**  
**31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र**

₹ में

निधियों का स्रोत	Schedules	2015-16	2014-15
संग्रहित/पूँजी निधि	1	47,16,37,659	1,01,09,89,463
निर्देशित / निर्धारित / धर्मस्व निधियाँ	2	21,27,49,982	20,47,09,932
चालू देयताएँ एवं प्रावधान	3	1,78,66,96,378	2,12,06,31,853
<b>कुल</b>		<b>2,47,10,84,019</b>	<b>3,33,63,31,248</b>
निधियों के आवेदन			
<b>स्थिर परिसंपत्तियाँ</b>	4		
मूर्त परिसंपत्तियाँ		65,71,08,909	53,39,55,315
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		4,45,026	1,75,210
चालू पूंजीगत कार्य		20,71,99,756	39,56,11,338
स्थिर परिसंपत्तियों का परिशोधन		-	2,47,11,197
निर्धारित / धर्मस्व निधियों पर निवेश	5		
दीर्घ अवधि		-	-
लघु अवधि		24,84,076	24,84,076
अन्य निवेश	6	-	-
चालू परिसंपत्तियाँ	7	1,25,22,90,218	1,19,06,66,301
ऋण, अग्रिम एवं जमा	8	35,15,56,034	1,18,87,27,811
<b>कुल</b>		<b>2,47,10,84,019</b>	<b>3,33,63,31,248</b>

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 24

आकस्मिक देयताएँ एवं लेखा पर टिप्पणियाँ 25



**अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय**  
**31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय खाता**

₹ में

आय	अनुसूचियाँ	2015-16	2014-15
<b>आय</b>			
शैक्षणिक आवर्तियाँ	9	83,42,630	1,09,38,740
अनुदान एवं दान	10	64,37,53,075	43,52,79,502
निवेश से आय	11	-	
शैक्षणिक आवर्तियाँ पूर्व	12	5,87,91,705	1,36,40,945
अन्य आय	13	69,26,614	73,08,066
पूर्व आवधि आय	14	46,62,373	2,11,55,621
<b>कुल (ए)</b>		<b>72,24,76,397</b>	<b>48,83,22,874</b>
<b>व्यय</b>			
कर्मचारी भुगतान एवं लाभ	15	1,23,70,57,109	43,50,66,950
शैक्षणिक व्यय	16	66,52,467	35,50,621
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	8,42,05,316	3,62,68,849
परिवहन व्यय	18	20,87,745	8,29,650
मरम्मत एवं रखरखाव	19	36,69,659	36,73,091
वित्त मूल्य	20	59,661	23,127
अन्य व्यय	21	2,00,23,080	61,23,419
पूर्व आवधि व्यय	22	67,85,372	27,87,167
मूल्य ह्रास	23	19,43,10,403	11,55,62,855
<b>कुल (बी)</b>		<b>1,55,48,50,812</b>	<b>60,38,85,729</b>
<b>व्यय पर अधिक आय का अतिरिक्त शेष (ए-बी)</b>		<b>(83,23,74,415)</b>	<b>(11,55,62,855)</b>
निर्धारित निधियों से स्तानांतरित		0	0
भवन निधियाँ		0	0
अन्य ( विशेष )		0	0
<b>अतिरिक्त शेष/ (घाटा) पूंजी निधि को लाया गया</b>		<b>(83,23,74,415)</b>	<b>(11,55,62,855)</b>

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

24

आक्समिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणियाँ

25

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का आवृत्तियाँ एवं भुगतान खाता

रु. लाख में

आवृत्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I प्रारंभिक शेष	11,847.81	9,514.73	I व्यय	6,520.71	4,667.13
ए) नगद शेष	1.73	1.20	ए) संस्थागत व्यय	-	-
बी) बैंक में जमा			बी) शैक्षणिक व्यय	49.09	31.77
I) चालू खातों में	283.07	517.12	सी) प्रशासनिक व्यय	582.94	226.05
II) जमा खातों में	8,560.02	7,257.67	डी) परिवहन व्यय	14.27	3.53
III) बचत खातों में	3,002.99	1,738.74	ई) मरम्मत एवं रखरखाव	23.96	28.32
			एफ) पूर्व आवधि व्यय	49.93	
II प्राप्त अनुदान	6,357.47	7,340.04	जी) वेतन एवं अन्य कर्मचारी लाभ	5,610.39	4,085.14
ए) भारत सरकार से	-	-	एच) अन्य व्यय	190.13	292.32
बी) राज्य सरकार से	-	-	II चालू देयताएं	1,074.04	404.51
सी) यूजीसी से					
I) योजना	536.00	1,400.00	III स्थिर परिसंपत्तियों पर व्य एवं	544.72	592.11
ii) गैर योजना	5,821.47	5,940.04	ए) स्थिर परिसंपत्तियाँ	279.72	310.67
III शैक्षणिक आवृत्तियाँ	83.40	109.31	बी) पूंजीगत जारी कार्य	265.00	281.44
IV निर्धारित/धर्मस्व निधियों से	112.19				
V प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं से आवृत्तियाँ	848.97		IV चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	-	18.78
VI प्रायोजित फेलोशिप/छात्रवृत्तियों से आवृत्तियाँ	176.97	311.66			
VII निवेश पर आय	18.47		V अन्य भुगतान	0.51	2.87
ए) निर्धारित/धर्मस्व निधियाँ	18.47				
बी) अन्य निवेश			VI समापन शेष	12,522.90	11,847.81
VIII ब्याज प्राप्त किया गया	595.50		ए) नगद शेष	12.83	1.73
ए) बैंक जमा से	563.88		बी) बैंक में जमा		
बी) ऋण एवं अग्रिम	1.73		I) चालू खातों में	224.93	283.07
सी) बैंक खातों में बचत	30.49		II) जमा खातों में	1,270.65	3,002.99
IX चालू परिसंपत्तियाँ	40.38		III) सावधि जमा में	11,014.49	8,560.02
X अन्य आय (पूर्वावधि आय सहित)	78.76				
XI ऋण अग्रिम एवं इंटर यूनिट स्थानांतरण	502.96				
XII अन्य आय (अप्रत्यक्ष आय)		257.47			
कुल	20,662.88	17,533.21	कुल	20,662.88	17,533.21

**अनुसूची 1 - कोष / पूँजी निधियाँ**

₹ में

विवरण	2015-16	2014-15	
	वर्षारंभ में शेष	1,01,09,89,460	1,12,63,58,337
योग:	कोष एवं पूँजी निधि से योगदान	-	-
योग:	पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग में लायी गयी यूजीसी, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारी अनुदान	29,30,22,614	9,83,97,676
योग:	निर्देशित निधियों से खरीदी गयी परिसंपत्तियाँ		
योग:	परियोजनाओं के अलावा खरीदी गयी परिसंपत्तियाँ		
योग:	दान एवं भेंट से प्राप्त परिसंपत्तियाँ		
योग:	अन्य योग		
योग:	आय एवं व्यय खाते स्थानांतरित व्यय पर अधिक आय	-	
	<b>कुल</b>	<b>1,30,40,12,074</b>	<b>1,22,47,56,013</b>
कटौती:	आय एवं व्यय खाते स्थानांतरित घटा ( कटौति)	83,23,74,415	21,37,66,550
	<b>वर्ष के अंत में शेष</b>	<b>47,16,37,659</b>	1,01,09,89,463

अनुसूची 2 - निर्देशित / निर्धारित / धर्मस्व निधिया

₹ में

विवरण	निधियों का विवरण		कुल	
	धर्मस्व निधियाँ	अनौपचारिक निधियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
ए.				
ए) निधियों का प्रारंभिक शेष	33,75,737	20,13,34,195	20,47,09,932	19,03,33,416
बी) वर्ष के दौरान जोड़ा गया	41,151		41,151	42,55,708
सी) निधियों के निवेश से प्राप्त आय	29,563	1,48,41,245	1,48,70,808	1,55,41,987
डी) निवेश/अग्रिम पर अर्जित ब्याज	5,71,308	52,55,326	58,26,634	41,24,936
ई) बचत बैंक खातों पर ब्याज		4,63,672	4,63,672	32,08,133
एफ) अन्य जोड़ (विशेष प्रकार)		54,86,841	54,86,841	29,04,732
<b>कुल (ए) समापन शेष</b>	<b>40,17,759</b>	<b>22,73,81,279</b>	<b>23,13,99,038</b>	<b>22,03,68,912</b>
बी.				
निधियों के उद्देश्य से किया गया उपयोग			-	
II) पूंजीगत व्यय			-	
III) राजस्व व्यय	4,000	1,33,13,914	1,33,17,914	85,83,261
IV) उपचित किंतु अप्राप्य विपर्य ब्याज	9,58,375	43,72,767	53,31,142	70,75,719
<b>कुल (बी)</b>	<b>9,62,375</b>	<b>1,76,86,681</b>	<b>1,86,49,056</b>	<b>1,56,58,980</b>
<b>वर्षांत में समापन शेष (ए-बी)</b>	<b>30,55,384</b>	<b>20,96,94,598</b>	<b>21,27,49,982</b>	<b>20,47,09,932</b>
द्वारा प्रस्तुत				
न्नगद एवं बैंक शेष		1,08,02,286		
निवेश	24,84,076	14,54,58,584		
उपचित किंतु अप्राप्य ब्याज	5,71,308	52,55,326		
<b>कुल</b>	<b>30,55,384</b>	<b>16,15,16,196</b>		

अनुसूची -2A

धर्मस्व निधि

₹ में

क्र. सं.	धर्मस्व का नाम	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान योग			कुल			वर्ष के दौरान उद्देश्यों पर खर्च			समापन शेष		कुल (10+11)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			आकलित ब्याज	धर्मस्व	उपार्जित	ब्याज	आकलित ब्याज (3+5)	आकलित ब्याज (4+6)	निरतिस	आकलित	धर्मस्व	आकलित ब्याज				
1	के. सुब्रमण्यन	135875		3067	6525	10935	138942	17460	17572	4000	138942	-4112				134830
2	पॉल गुणशेखर	248496		-18624	11115	18628	229872	29743	29934	0	229872	-191				229681
3	डॉ. रेड्डी मेमोरियल लेक्चर	699402		14657	27886		714059	27886	158317	0	714059	-130431				583628
	धर्मस्व निधियों पर उपार्जित ब्याज	249390				0	249390	0	249390	0	249390	-249390				0
4	मुषेन्ना	1643162			503630	0	1643162	503630	503162	0	1643162	468				1643630
5	एन. कृष्णा स्वामि	162280		32458	9772	0	194738	9772		0	194738	9772				204510
6	आर.एन. घोष	206870		7047	10734	0	213917	10734		0	213917	10734				224651
7	एस. कृष्णा मूर्ति	20785		2540	1170	0	23325	1170		0	23325	1170				24495
8	एस.बी. पाराशर	9477		6	476	0	9483	476		0	9483	476				9959
							0	0			0	0				0
		3375737	0	41151	571308	29563	3416888	600871	958375	4000	3416888	-361504				3055384

अनुसूची -2A  
अनौपचारिक निधि

₹ में

क्र. सं.	धर्मस्व का नाम	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान योग			कुल			वर्ष के दौरान उद्देश्यों पर खर्च		समापन शेष		कुल (10+11)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			आकलित ब्याज	अनौपचारिक	उपार्जित	टीडीआर	एसबी खाता	अनौपचारिक (3+5)	आकलित ब्याज (4+6)	आकलित	उपार्जित	वर्ष के दौरान उद्देश्यों पर खच	अनौपचारिक	आकलित ब्याज	
1	शैक्षणिक अद्यतन खाना	10154634			33973	1241325	27205	10154634	1302503	488033	1427689	1427689	8726945	814470	9541415
2	विकास निधि	93519620			1295474	7734702	123778	93519620	9153954	1331318	110559	110559	93409061	7822636	101231697
3	कर्मचारी कल्याण निधि	16945760		836955	875053	1531358	45673	17782715	2452084	944757	924246	924246	16858469	1507327	18365796
4	विदेशी छात्र कल्याण निधि	628321					3897	628321	3897		3820	3820	624501	3897	628398
5	अंतर्राष्ट्रीय सह. निधि	11267750			505529	1110573	39672	11267750	1655774	614515	1372696	1372696	9895054	1041259	10936313
6	अन्य निधि	10320645			1105994	1311367	18573	10320645	2435934	411973	125	125	10320520	2023961	12344481
7	प्रकाशन निदि	8322429			157089	325391	104866	8322429	587346	156766	125	125	8322304	430580	8752884
8	आरक्षित निधि	24152040						24152040	0				24152040	0	24152040
9	शिक्षक कल्याण निधि	16063389		87491	1282214	1536238	34716	16150880	2853168	415100	125	125	16150755	2438068	18588823
10	छात्र कल्याण निधि	9959607		4562395		50291	65292	14522002	115583	10305	9474529	9474529	5047473	105278	5152751
		<b>201334195</b>	<b>0</b>	<b>5486841</b>	<b>5255326</b>	<b>14841245</b>	<b>463672</b>	<b>206821036</b>	<b>20560243</b>	<b>4372767</b>	<b>13313914</b>	<b>13313914</b>	<b>193507122</b>	<b>16187476</b>	<b>209694598</b>

अनुसूची 3 - चालू देयताएं एवं प्रावधान

₹ में

	2015-16	2014-15
ए. चालू देयताएं		
1. स्टाफ की जमा	19,467	72,404
2. विद्यार्थियों की जमा	28,35,664	34,05,769
3. विविध लेनदार		
ए) सामान एवं सेवाएं	1,86,66,735	2,50,37,882
बी) अन्य	60,31,733	
4. अन्य जमा (ईएमडी, सुरक्षा जमा सहित)	1,20,11,267	1,24,62,457
5. कानूनी देयताएं (जीपीएफ, टीडीएस, डब्ल्यूसी टैक्स, सीपीएफ, जीआईएश, एनपीसीएस)		
ए) बकाया	-	-
बी) अन्य	1,76,55,303	2,17,80,949
6. अन्य जारी देयताएं		
ए) वेतन	1,73,23,717	1,50,37,737
बी) प्रायोजित परियोजनाओं के प्रति आवर्तियाँ	26,52,34,885	20,57,70,832
सी) प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्तियाँ के प्रति आवर्तियाँ	-	1,04,06,111
डी) अनुपयोगी अनुदान	56,05,79,654	85,04,68,719
ई) अग्रिम अनुदान		
एफ) अन्य निधियाँ		75,00,000
जी) अन्य देयताएं	24,82,73,938	34,32,32,659
कुल (ए)	<b>1,14,86,32,363</b>	<b>1,49,51,75,519</b>
बी. प्रावधान		
1. करों के लिए	-	
2. ग्रेच्युटी	7,67,60,045	8,35,00,281
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन	37,35,62,004	36,21,40,685
4. संचित अवकाश नकदीकरण	18,77,41,963	17,98,15,368
5. व्यापार वारंटियाँ/देय	-	
6. अन्य (विशेष)		
कुल (बी)	<b>63,80,64,012</b>	<b>62,54,56,334</b>
कुल (ए + बी)	<b>1,78,66,96,375</b>	<b>2,12,06,31,853</b>

अनुसूची 3 ए प्रायोजित परियोजनाए

रु में

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान आवृत्तियाँ		वर्ष के दौरान व्यय		समापन शेष	
		3	4	अधार	जमा	उधार	जमा	उधार	जमा
1	परामर्श निधि है (प्राकृतिक आय)	85,69,593		55,50,914		1,41,20,507	19,10,614	1,22,09,893	
2	आईपीटी निधि	7,20,21,292		5,88,58,977		13,08,80,269	2,52,20,573	10,56,59,696	
3	रायल्टी निधि	4,70,11,974		99,05,657		5,69,17,631	62,340	5,68,55,291	
4	टिस	13,235		16,434		29,669	28,171	1,498	
5	एफडब्ल्यूएसएसपी	7,15,410		29,049		7,44,459	-	7,44,459	
6	आईसीएसएसआर	14,68,965		31,12,996		45,81,961	21,54,322	24,27,639	
7	एएसआईपी	63,22,299		6,36,279		69,58,578	82,540	68,76,038	
8	फोर्ट फाउण्डेशन	11,65,578		1,24,117		12,89,695	10,487	12,79,208	
9	एचबीए	2,01,66,784		40,65,514		2,42,32,298	3,44,970	2,38,87,328	
10	आईसीसीआर	2,19,64,206		33,87,413		2,53,51,619	2,48,145	2,51,03,474	
11	ब्लो	6,89,112		5,40,407		12,29,519	43,770	11,85,749	
12	बीईडी		1,77,496	1,77,496		-	-	-	
13	सीईएलटी	26,04,534		-		26,04,534	8,46,982	17,57,552	
14	इमेस्को	78,31,620		35,31,983		1,13,63,603	13,89,619	99,73,984	
15	इटालियन	3,62,721		-		3,62,721	-	-	
16	प्रांतीय इं.	88,64,030		-		88,64,030	-	88,64,030	
17	यूजीसी की जारी परियोजनाएं	25,73,387		39,78,639		65,52,026	14,76,890	50,75,136	
18	एसएपीईएसएल	14,02,511		43,468		14,45,979	3,11,330	11,34,649	
19	एआईईएलटीए	2,36,800		-		2,36,800	-	2,36,800	
20	अरबी अध्ययन	14,23,661		-		14,23,661	-	14,23,661	
21	सीईएलटी अभीका	1,23,640		-		1,23,640	-	1,23,640	
22	आईसीपीआर	3,88,236		-		3,88,236	-	3,88,236	
23	एसएसए परियोजना तेलंगा सरकार			2,00,000		2,00,000	1,73,076	26,924	
24	शिलांग निधि	27,589		-		27,589	27,589	-	
25	यूनिसेफ	1,150		16,45,871		16,47,021	16,47,021	-	
26	कुल	20,59,48,327	1,77,496	9,58,05,214	-	30,15,76,045	3,63,41,160	26,52,34,885	0



अनुसूची 3 बी प्रायोजित छात्रवृत्ति और फेलोशिप

₹ में

क्र.स.	प्रायोजक का नाम	वर्तमान प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान लेन देन		वर्तमान समापन शेष	
		सीआर	डीआर	सीआर	डीआर	सीआर	डीआर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	1,07,20,746		5,20,63,092	8,29,18,752		2,01,34,914
2	मंत्रालय						
3	अन्य (विशेष व्यक्तिगत)		3,14,635	5,85,494	3,27,549		56,690
	कुल	1,07,20,746	3,14,635	5,26,48,586	8,32,46,301	-	2,01,91,604

अनुसूची 3 सी यूजीसी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुपयोगी अनुदान

₹ में

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
<b>ए. योजना अनुदान - भारत सरकार</b>		
शेष, बी/एफ		
योग : वर्ष के दौरान आवृत्तियाँ		
<b>कुल(ए)</b>	0	0
कटौती : वापसी		
कटौती : राजस्व व्यय के लिए उपयोग		
कटौती : पूंजी व्यय के लिए उपयोग		
<b>कुल(बी)</b>	0	0
अनुपयोगी आगे लाये गये (ए-बी)	0	
<b>बी. यूजीसी अनुदान : योजना</b>		
शेष, बी/एफ	670819840	
योग : वर्ष के दौरान आवृत्तियाँ	53600000	
समायोजन भुगतान	91911252	
<b>कुल(सी)</b>	816331092	
कटौती : वापसी		
कटौती : राजस्व व्यय के लिए उपयोग	188785166	
कटौती : पूंजी व्यय के लिए उपयोग	229791978	
<b>कुल(डी)</b>	418577144	
अनुपयोगी आगे लाये गये (सी-डी)	<b>397753948</b>	
<b>सी. यूजीसी अनुदान गैर योजना</b>		
शेष, बी/एफ	179648881	
योग : वर्ष के दौरान आवृत्तियाँ	511954000	
समायोजन आवृत्तियाँ	166471729	
<b>कुल(ई)</b>	<b>858074610</b>	
कटौती : वापसी		
कटौती : राजस्व व्यय के लिए उपयोग	695248904	
कटौती : पूंजी व्यय के लिए उपयोग		
<b>कुल(एफ)</b>	<b>695248904</b>	
अनुपयोगी आगे लाये गये (ई-एफ)	162825706	
<b>राज्य सरकार से अनुदान</b>		
शेष, बी/एफ	0	
योग : वर्ष के दौरान आवृत्तियाँ	0	
<b>कुल(जी)</b>	0	
कटौती : राजस्व व्यय के लिए उपयोग	0	
कटौती : पूंजी व्यय के लिए उपयोग	0	
<b>कुल (एच)</b>	0	
अनुपयोगी आगे लाये गये (जी-एच)	0	
<b>कुल (ए+बी+सी+डी)</b>	<b>560579654</b>	

अनुसूची 4 - वर्ष 2015-16 के लिए

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान घटाया गया	वर्ष के दौरान घटाया गया	वर्ष के दौरान घटाया गया	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान घटाया गया	वर्ष के दौरान घटाया गया	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान घटाया गया	वर्ष के दौरान जोड़ा गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I भूमि	-									
ए) निःशुल्क प्राप्त की गयी										
बी) लीज पर प्राप्त की गयी										
II भवन:										
ए) निःशुल्क प्राप्त किया गया										
बी) लीज पर प्राप्त किया गया	63,45,19,919	26,70,13,771	-	90,15,33,690	25,25,10,332	12,76,14,630		38,01,24,962	52,14,08,728	38,20,09,587
सी) निजि/फ्लैट/परिसर										
डी) बालाई इमारत शैक्षणिक संस्थान की नहीं है										
III इकाइयाँ, मशिनरी एवं उपकरण	15,85,16,854	7,22,771		15,92,39,625	9,60,03,572	94,78,888		10,54,82,460	5,37,57,165	6,25,13,281
IV वाहन 15%	65,60,828			65,60,828	39,47,456	3,92,006		43,39,462	22,21,366	26,13,372
V कार्यालय उपकरण 15%	5,32,38,447	14,44,612		5,46,83,059	2,86,95,708	39,58,078		3,26,53,786	2,20,29,273	2,45,42,736
VI कंप्यूटर/बाह्य उपकरण 60%	9,58,06,802	51,87,235		10,09,94,037	8,97,75,695	72,25,380		9,70,01,075	39,92,962	60,31,110
VII फर्नीचर एवं फिक्सचर - 10%	6,19,56,372	51,92,778		6,71,49,150	2,03,24,340	46,39,571		2,49,63,911	4,21,85,239	4,16,32,032
VIII इलेक्ट्रोनिल स्थापना 80%	3,77,61,598	65,43,085		4,43,04,683	3,30,85,650	84,43,097		4,15,28,747	27,75,936	46,75,948
IX पुस्तकालय किताबें 60%	10,98,48,324	59,40,991		11,57,89,315	10,23,00,461	72,74,423		10,95,74,884	62,14,431	75,47,863
XI खेल उपकरण - 15%	3,10,020	89,445		3,99,465	1,89,196	24,832		2,14,028	1,85,437	1,20,826
XII ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति - 10%	27,35,185	3,16,498		30,51,683	4,66,625	2,46,686		7,13,311	23,38,372	22,68,560
ए) कुल मूल परिसंपत्तियाँ	1,16,12,54,349	29,24,51,186	-	1,45,37,05,535	62,72,99,035	16,92,97,591	-	79,65,96,626	65,71,08,909	53,39,55,315
बी) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	10,86,535	5,71,428		16,57,963	9,11,323	3,01,614		12,12,937	4,45,026	1,75,210
सी) जारी पूंजीगत कार्य	39,56,11,338	6,79,34,870	25,63,46,452	20,71,99,756	-	-		-	20,71,99,756	39,56,11,338
डी) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	12,35,55,977			12,35,55,977	9,88,44,783	2,47,11,197		12,35,55,980	-	2,47,11,197
कुल (ए+ बी +सी+डी)	1,68,15,08,199	36,09,57,484	25,63,46,452	1,78,61,19,231	72,70,55,141	19,43,10,402	-	92,13,65,543	86,47,53,691	95,44,53,060

अनुसूची 4 (1) - वर्ष 2015-16 के लिए

वर्ष	वर्ष 2015-16 के लिए														वर्ष में मूल्य/मूल्यांकन	
	वर्ष 2015-16 के लिए							वर्ष 2015-16 के लिए								
	कुल	योजना	एचपीएनएस	एसपी	शिलांग	लखलऊ	ईएमएमआरसी	योजना	संपूर्ण वर्ष	अर्ध वर्ष	छात्रवृत्ति एवं परियोजनाएं	शिलांग	लखलऊ	ईएमएमआरसी		कुल
I भूमि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ए) नि:शुल्क प्राप की गयी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
बी) लीज पर प्राप की गयी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II भवन:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ए) नि:शुल्क प्राप किया गया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
बी) लीज पर प्राप किया गया	382009587	354520299	0	0	27489288	0	0	199640832	6882406	0	60306898	183635	0	267013771	649023358	
सी) नि/नि/प्लैट/परिसर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
डी) जालाई इमारत शैक्षिक संस्थान की नहीं है	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III) इकाइयां, मॉडर्न शैक्षिक संस्थान को नहीं है	62513282	56194370	315120	4104157	1299208	600427	0	605827	86944	0	0	0	30000	722771	63236053	
IV) बाहन 15%	2613372	2613372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2613372	
V) कार्यालय उपकरण 15%	24542739	23615033	451401	195554	211058	69693	0	877834	271400	168300	0	118088	0	1444612	25987351	
VI) कंप्यूटर/बाह्य उपकरण 60%	6031107	4475101	274249	833024	90739	294154	63840	3807435	13152225	0	64575	0	8990	5187235	11218342	
VII) फर्नीचर एवं फिक्स्चर - 10%	41632031	32413494	395211	428736	7934473	460117	0	717144	504965	57030	0	3536811	0	5192778	46824809	
VIII) इलेक्ट्रिकल स्थापना 80%	4675948	3873821	38879	46620	155424	14811	546393	4774883	950667	0	0	437880	379655	6543085	11219033	
IX) पुस्तकालय किताबें 60%	7547863	4615951	0	0	1948309	983603	0	676424	1286149	0	0	2437580	658248	5940991	13488854	
XI) खेल उपकरण - 15%	120824	109013	0	0	0	11811	0	0	89445	0	0	0	0	89445	210269	
XII) ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति - 10%	2268560	2268560	0	0	0	0	0	80098	236400	0	0	0	0	316498	2585058	
III) अपूर्ण परिसंपत्तियां 60%	533955313	484699014	1474860	5608091	39128499	2434616	610233	211180477	11623601	225330	64575	66719169	1377626	150918	0	826406499
III) जारी पूंजीगत कार्य	175210	139576	24990	0	7593	0	3051	0	487900	0	0	0	0	83528	571428	746638
IV) परिसंपत्तियों का परिशुद्धिकरण	395611338	325133078	0	0	70478260	0	0	11306232	0	0	0	56628638	0	67934870	256346452	207199756
	24711197	24711197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24711197
	954455058	834682865	1499850	5608091	109614352	2434616	613284	222486709	12111501	225330	64575	123347807	1377626	234446	360957484	1059064090

अनुसूची 4 (3) - वर्ष 2015-16 के लिए विवरण

31.03.2015 को शुद्ध ब्लाक														
विवरण	कुल	योजना	एनपीएएस	एसपी	शिलांग	लखनऊ	ईएमएआरसी	कुल	योजना	एनपीएएस	एसपी	शिलांग	लखनऊ	ईएमएआरसी
I भूमि								0		0		0		0
ए) नि:शुल्क प्राप्त की गयी								0		0		0		0
बी) लीज पर प्राप्त की गयी														
II प्रभतः	0	0	0	0	0	0	0							
ए) नि:शुल्क प्राप्त किया गया	0	0	0	0	0	0	0							
बी) लीज पर प्राप्त किया गया	0	0	0	0	0	0	0							
सी) निजि/पस्टैट/परिसर	0	0	0	0	0	0	0							
डी) बालाई इमारत शैक्षणिक संस्थान की नहीं है	252510332	247749344	0	0	4760988	0	0	80315868	344121					8744500
III इकाइयों, परिशिष्टी एवं उपकरण 15%	0	0	0	0	0	0	0							
IV वाहन 15%	0	0	0	0	0	0	0							
V कार्यालय उपकरण 15%	96003572	94907408	113009	420448	388755	173952	0	90874	6521			0	0	0
VI कंप्यूटर/बाह्य उपकरण 60%	3947456	3947456	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
VII फर्नीचर एवं फिक्सचर - 10%	28695708	28435149	173375	15855	54436	16893	0	194229	47662			25245	0	0
VIII इलेक्ट्रिकल सामान 80%	89775695	87738198	825608	357012	100403	590314	164160	3192776	394567			0	19373	0
IX पुस्तकालय किताबें 60%	20324340	19491905	88302	25096	665441	53596	0	71715	25248			5703	0	353681
XI खेल उपकरण - 15%	33085650	26293527	586384	31080	527316	108613	5538730	3819906	380267			0	0	350304
XII ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति - 10%	102300461	98403591	0	0	2089504	1807366	0	405856	385843			0	0	1462549
	189196	185984	0	0	0	3212	0	0	6708			0	0	0
II अमूर्त परिसंपत्तियाँ 60%														
III जारी पूंजीगत कार्य	466625	466625	0	0	0	0	0	8010	11820			0	0	0
IV परिसंपत्तियों का परिशुद्धिकरण	627299035	607619187	1786678	849491	8586843	2753946	5702890	88099234	1602757	0	0	30948	19373	10911034
कुल (ए,बी,सी,डी,ई)	911323	791180	64260	0	39863	0	16020	0	146370					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

अनुसूची 4 (3) - वर्ष 2015-16 के लिए विवरण

विवरण	31.03.2015 को शुद्ध ब्लाक										31.03.2016 को शुद्ध ब्लाक									
	कुल	योजना	एनपीएमएस	एसपी	शिलांग	लखलऊ	ईएमएआरसी	कुल	योजना	एनपीएमएस	एसपी	शिलांग	लखलऊ	ईएमएआरसी						
<b>1</b>																				
<b>I भूमि</b>																				
ए) नि:शुल्क प्राप्त की गयी																				
बी) लीज पर प्राप्त की गयी																				
II भवन:																				
ए) नि:शुल्क प्राप्त किया गया																				
बी) लीज पर प्राप्त किया गया	382009587	354520299			27489288			521408728	444931518			76477210								
सी) निजि/फ्लैट/परिसर	0							0	0					0						
डी) बालाई इमारत शैक्षणिक संस्थान की नहीं है	0							0	0					0						
III इकाइयों, मशीनरी एवं उपकरण 15%	62513282	56194370	315120	4104157	1299208	600427	0	53757165	48360590	267852	3488533	1104327	535863	0						
IV वाहन 15%	2613372	2613372	0	0	0	0	0	2221366	2221366	0	0	0	0	0						
V कार्यालय उपकरण 15%																				
VI कंप्यूटर/बाह्य उपकरण 60%	24542739	23615033	451401	195554	211058	69693	0	22029273	20980121	383691	309276	288630	67555	0						
VII फर्नीचर एवं फिक्सचर - 10%	6031107	4475101	274249	833024	90739	294154	63840	3992962	3325357	109699	378412	36296	117662	25536						
VIII इलेक्ट्रिकल स्थापना 80%	41632031	32413494	395211	428736	7934473	460117	0	42185238	30297291	355690	437189	10360255	734813	0						
IX पुस्तकालय किताबें 60%	4675948	3873821	38879	46620	155424	14811	546393	2775936	2300141	7776	9324	346454	2962	- 109279						
X पुस्तकालय किताबें 60%	7547863	4615951	0	0	1948309	983603	0	6214431	3017254	0	0	2215129	982048	0						
XI खेल उपकरण - 15%	120824	109013	0	0	0	11811	0	185437	175398	0	0	0	10039	0						
XII ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति - 10%	2268560	2268560	0	0	0	0	0	2338372	2338372	0	0	0	0	0						
<b>कुल</b>	<b>533955313</b>	<b>484699014</b>	<b>1474860</b>	<b>5608091</b>	<b>39128499</b>	<b>2434616</b>	<b>610233</b>	<b>525790625</b>	<b>557947408</b>	<b>1124708</b>	<b>4622734</b>	<b>90828301</b>	<b>2450942</b>	<b>134815</b>						
II अमूर्त परिसंपत्तियां 60%	175210	139576	24990	0	7593	0	3051	445024	397360	9996	0	3037	33411	1220						
III जारी पूंजीगत कार्य	395611338	325133078	0	0	70478260	0	0	207199756	80092858	0	0	127106898	0	0						
IV परिसंपत्तियों का परिशुद्धिकरण	24711197	24711197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>कुल (ए+बी+सी+डी)</b>	<b>954453058</b>	<b>834682865</b>	<b>1499850</b>	<b>5608091</b>	<b>109614352</b>	<b>2434616</b>	<b>613284</b>	<b>953551478</b>	<b>638437626</b>	<b>1134704</b>	<b>4622734</b>	<b>217938236</b>	<b>2484353</b>	<b>136035</b>						

अनुसूची 5- निर्धारित/ धर्मस्व निधियों द्वारा निवेश

₹ में

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार में प्रतिभूतियाँ	-	
2. राज्य सरकार में	-	
3. अन्य मान्यताप्राप्त प्रतिभूतियाँ	-	
4. अंश	-	
5. डिबेंचर्स एवं बाँड	-	
6. बैंकों में सावधि जमा	24,84,076	24,84,076
7. अन्य (विशेष)	-	-
<b>कुल</b>	<b>24,84,076</b>	<b>24,84,076</b>

अनुसूची 5 ए - निर्धारित/ धर्मस्व निधियों द्वारा निवेश ( निधि आधारित)

क्र.स.	निधियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1	डा. रंजुी ममोरियल लेक्चर निधि एफडीआर	555742.00 डॉ	
2	गुणशेखर धर्मस्व एफडीआर	218566.00 डॉ	
3	के. सुब्रमण्यन धर्मस्व निधि एफडीआर	128305.00 डॉ	
4	मुत्तेन्ना धर्मस्व एफडीआर	1140000.00 डॉ	
5	एन. कृष्ण मूर्ति धर्मस्व एफडीआर	23325.00 डॉ	
6	एन कृष्णा स्वामि धर्मस्व एफडीआर	194738.00 डॉ	
7	आर. एन. घोष धर्मस्व एफडीआर	213917.00 डॉ	
8	एस वी पाराशर एफडीआर	9483.00 डॉ	
	<b>कुल</b>	<b>2484076.00 डॉ</b>	

अनुसूची 6- निवेश अन्य

₹ में

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार में प्रतिभूतियाँ रुपये	-	
2. राज्य सरकार में	-	
3. अन्य मान्यताप्राप्त प्रतिभूतियाँ	-	
4. अंश	-	
5. डिबेंचर्स एवं बाँड	-	
6. अन्य (विशेष) कुल	-	
कुल	-	



अनुसूची 7 – चालू परिसंपत्तियाँ

₹ में

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. स्टॉक		
ए) स्टोर एवं खाली	-	
बी) खुले उपकरण	-	
सी) प्रकाशन	-	
डी. प्रयोगशाला रसायन, उपयाभोग एवं ग्लास वस्तुएं	-	
ई) भवन सामग्री	-	
एफ) इलेक्ट्रिक सामग्री	-	
जी) स्टेशनरी	-	
एच) जलापूर्ति सामग्री	-	
2. विविध कर्जदार		
ए) छह महीने से अधिक समय के लिए लंबित कर्ज	-	40,38,039
बी) अन्य	-	
3. शेष राशि एवं बैंक में शेष		
i) शेष नगद	82,953	1,73,011
ii) लेनदेन में निधियाण	12,00,000	
iii) बैंक में शेष		
ए) शेड्यूल्ड बैंकों में		
- चालू खातों में	2,24,93,051	2,83,07,583
- सावधि जमा खातों में	1,10,14,49,283	85,78,48,832
- बचत खातों में	12,70,64,931	30,02,98,836
बी) गैर शेड्यूल्ड बैंकों में		
- सावधि जमा खातों में	-	
- बचत खातों में	-	
4. डाकघर बचत खाते	-	
कुल	1,25,22,90,218	1,19,06,66,301

<b>2. चालू खाते</b>		<b>22493051</b>
1	कैनरा बैंक एन आर 1286101022663 -ईएमआरसी	125469
2	एसबीएच एन आर परामर्श 62098711645 -ईएमआरसी	79617
3	एसबीएच चालू खाते एल के	889777
4	एसबीएच अक्का महादेवी हास्टेल 62066314023 एनपीएनएस	157011
5	एसबीएच बशीर हास्टेल - 62292529288 एनपीएस	3516173
6	एसबीएच अतिथि गृह - 62058318968 - एनपीएनएस	532244
7	एसबीएच इंटरनेशन वुमेन्स हास्ट एनपीएनएस	885114
8	एसबीएच माहलकाबाई चंदा हास्टेल एनपीएनएस	653600
9	एसबीएच ट्यूशन फी 62101676109 एनपीएनएस	10015065
10	कैनरा बैंक सीए 1286201000983 एस पी	610119
11	एसबीएच चालू खाते 52198262419	1098607
12	एसबीएच हबशीगुडा	533789
13	एसबीआई गैर योजना 10881225176 एसएच	3396466
<b>3. शेड्यूल बैंकों में सावधि जमा</b>		<b>1101449283</b>
1	सावधि जमा एल के	17701828
2	बायज हास्टेल का निर्माण शिंग इंडिय बैंक योजना	10000000
3	इंडियन बैंक एफडीआर योजना	190000000
4	एसबीएच एफडीआर योजना	387376138
5	एन आर सावधि जमा ईएमआरसी	9885323
6	आर सावधि जमा ईएमआरसी	156752
7	सावधि जमा एयू	5000000
8	सावधि जमा डीएफ	84975929
9	सावधि जमा टीडब्ल्यूएफ	13798758
10	सावधि जमा टीडब्ल्यूएफ	6700000
11	सावधि जमा टीडब्ल्यूएफ	12793759
12	सावधि जमा पीएफ	5500000
13	सावधि जमा एसडब्ल्यूएफ	550372
14	सावधि जमा टीडब्ल्यूएफ	16139766
15	एफडीआर बशीर हास्टेल	548620
16	एफडीआर इंटरनेशनल वुमेन्स हास्टेल	1600000
17	अतिथि गृह एफडीआर	5396000
18	एसबीआई तारनाका शाखा एफडीआर एनपीएनएस	3207644
19	सावधि जमा अक्का महादेवी छात्रावास एनपीएनएस	1700000
20	सावधि जमा माहलका छात्रावास एनपीएनएस	3000000
21	ट्यूशन फी एफडीआर	70706604
22	एयूएसईपी एफडीआर	6871721
23	इमेस्को एफडीआर	51037004
24	एफडीआर जेआरएफ एवं एसआरएश शे. एवं परियो. (चालू खाते)	38253982
25	फोर्ट फाउंडेशन एफडीआर	1321263
26	एचबीए निवेश एफडीआर	20093070
27	आईसीसीआईआर एफडीआर	23785965
28	ऑंतरिक आय एफडीआर	20000000
29	आईटीपी एफडीआर	58661918
30	वेलो परियोजना एफडीआर (एस एण्ड पी)	5514841
31	रायल्टी फंड एफडीआर	1326768
32	सावधि जमा एसआरटी	27845258

वस्तुसूची ए

₹ में

i) नगद शेष		1282953
1	एनपीएनएस में मामूली नगद	25000
2	नगद शेष (नगद, मसौदा, सामान्य नगद आदि) एलके	44037
3	मार्गस्थ रोकड़ एलके	1200000
4	एनपी नगर-एसएच	10111
5	एस डब्लू एफ कैश एस एच	3805
ग) बैंक शेष बचत बैंक खाते		
1. बचत बैंक खाते		127064931
1	एसबीएच एनआर एनएमई आईसी ईएमएणआरसी	1708170
2	एसबीएच प्राप्ति 62122901608 ईएमएणआरसी	3799171
3	एसबीएच ए यू 62046306310 एनएफ	3860352
4	एसबीएच डीएफ 62046295976 एनएफ	242884
5	एसबीएच ई डब्ल्यूएफ 62046305464 एनएफ	2160752
6	एसबीएच एफएसडब्ल्यूएफ 62104061986 एनएफ	67702
7	एसबीएच आईसीएफ 62046315428 एनएफ	896868
8	एसबीएच एफएसडब्ल्यूएफ 2046316136 एनएफ	290882
9	एसबीएच पीएफ 62046316056 एनएफ	590961
10	एसबीएच एसडब्ल्यूएफ 62046305102 एनएफ	2077278
11	एसबीएच टीडब्ल्यूएफ 62046306172 एनएफ	614607
12	एसबीएच एनपीएनएस 62116229767 एनपीएनएस	8548996
13	एसबीएच टैगोर इंटरनेशनल मेन्स होस्टल 62253166284 एनपीएनएस	536664
14	एसबीआई लालागुडा 32910269381 एनपीएनएस	1007252
15	एसबीएच डी सी 62122902147 योजना	2444
16	एसबीएच विलीन योजना 62122896802 योजना	4794
17	एसबीएच योजना जीडी 62122902067 योजना	8455626
18	एसबीआई जमा राशि परियोजना 33010324611 एसएच	207477
19	एसबीआई योजना 31858187617 एसएच	2902214
20	एसबीआई आरक्षित निधि 30424386502 एसएच	1382700
21	एसबीआई एसडब्ल्यूएफ 30424393869 एसएच	528653
22	एसबीएच एयूसईपी 62180368055 एस पी	29399
23	एसबीएच बीडी 62111478594 एस पी	205
24	एसबीएच इमेस्को 62012190632 एस पी	3722424
25	एसबीएच फोर्ट फाउंडेशन 52198270156 एसपी	51207
26	एसबीएच कमजोर छात्रों का अध्ययन 62191001026 एसपी	744459
27	एसबीएच एचबीए 52198270156 एसपी	1776130
28	एसबीएच आईसीसीआर 62122901438 एसपी	1308804
29	एसबीएच आईसीसीआर खाता संख्या 62284221333 एसपी	2455206
30	एसबीएच आंतरिक आय बचत खाता संख्या 62122901303 एसपी	1964138
31	एसबीएच आईटीबी बचत खाता संख्या 62216583848 एसपी	7407869
32	एसबीएच रेलो परियोजना-2 - 62116127798 एसपी	117221
33	एसबीएच रेलो परियोजना 1 - 62294650304 - एसपी	686881
34	एसबीएच सैप ईएसएल अध्ययन 62275956936 एसपी	996038
35	एसबीएच टिस्स परियोजना अध्ययन 62326709573 एसपी	1498
36	एसबीएच ओबीसी 62113104525 एसआरटी	63326
37	एसबीएच ओबीसी 62128093014 एसआरटी	65853679

**अनुसूची 8 – ऋण, अग्रिम एवं जमा**

₹ में

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. कर्मचारियों को अग्रिम बिना ब्याज के		
ए) वेतन	-	
बी) उत्सव सी	1,67,925	1,04,811
सी) चिकित्सा अग्रिम	-	-
डी) एलटीसी	6,640	99,340
ई) अन्य (विशेष)	1,56,08,434	1,89,67,166
2. कर्मचारियों को दीर्घावधि अग्रिम (ब्याज आधार पर)		
ए) वाहन	20,68,006	22,37,933
बी) गृह ऋण	22,37,509	9,45,130
सी) अन्य (विशेष)	36,41,960	16,11,793
2. कर्मचारियों को दीर्घावधि अग्रिम (ब्याज आधार पर)		
ए) वाहन	-	
बी) गृह ऋण	95,22,757	58,38,725
सी) अन्य (विशेष)	27,67,133	30,87,338
3. अग्रिम एवं अन्य प्राप्ति योग्य राशि नगर या इस प्रकार		
ए) पूंजी खातों पर	7,059	1,46,850
बी) सप्लायर को	6,03,376	3,48,339
सी) अन्य		
4. पूर्व भुगतान व्यय	1,412	1,412
ए) बीमा		
बी) अन्य व्यय	62,68,712	19,04,328
5. जमा		
ए) टेलीफोन	2,66,13,724	2,66,37,724
बी) लीज भाड़ा	10,65,933	10,65,933
एच) एमसीआई, यदि लागू हो	33,74,960	4,30,960
6. प्राप्त आय:		
ए) निर्धारित धर्मस्व निधियों द्वारा निवेश पर		
बी) अन्य निवेशों पर		
सी) ऋण एवं अग्रिम पर		
एच) एमसीआई, यदि लागू हो		
डी) अन्य अचेतन लंबित आय सहित..) ब्याज	<b>4,37,96,391</b>	<b>3,13,71,539</b>
7. अन्य प्राप्ति योग्य		
ए) प्रायोजित परियोजनाओं में ऋण शेष		
बी) फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति में ऋण शेष	2,01,91,604	
सी) प्राप्ति योग्य अनुदान	22,67,854	8,23,98,580
डी) यूजीसी द्वारा अन्य प्राप्ति योग्य	-	62,96,31,334
8. प्राप्ति योग्य दावे	21,13,44,645	38,18,98,576
<b>कुल</b>	<b>35,15,56,034</b>	<b>1,18,87,27,811</b>

अनुसूची - 9 - शैक्षणिक आवर्तियाँ

₹ में

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
विद्यार्थियों का शुल्क		
ए. शैक्षणिक		
1. ट्यूशन फी	60,04,773	68,42,447
2. प्रवेश शुल्क	-	-
3. पंजीकरण शुल्क	76,100	1,38,238
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	5,36,572	6,31,492
5. प्रयोगशाला शुल्क	-	-
6. कला एवं हस्तकला शुल्क	-	-
7. पंजीकरण शुल्क	6,21,379	16,12,496
8. पाठ्यक्रम शुल्क	-	-
<b>कुल (ए)</b>	<b>72,38,824</b>	<b>92,24,673</b>
परीक्षा		
1. प्रवेश जांच शुल्क	-	-
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क	4,25,230	4,87,580
3. अंक-पत्र, प्रमाण-पत्र शुल्क	1,02,482	2,82,160
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क		
<b>कुल (बी)</b>	<b>5,27,712</b>	<b>7,69,740</b>
अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क	61,350	64,195
2. जुर्माना एवं अन्य	1,46,308	2,90,850
3. चिकित्सा शुल्क	2,38,320	4,25,070
4. परिवहन शुल्क	-	-
5. छात्रावास शुल्क	-	-
6. नेट प्रशिक्षण शुल्क	7,750	
<b>कुल (सी)</b>	<b>4,53,728</b>	<b>7,80,115</b>
प्रकाशनों की बिक्री		
1. प्रवेश आवेदनों की बिक्री से		
2. पाठ्यक्रम एवं प्रश्नपत्रों की बिक्री		
3. प्रवेश शुल्क सहित पाठ्यक्रम विवरण की बिक्री	1,22,366	1,64,212
<b>कुल (डी)</b>	<b>1,22,366</b>	<b>1,64,212</b>
अन्य शैक्षणिक प्राप्तियाँ,		
1. कार्यशालाओं एवं कार्यक्रमों का पंजीकरण शुल्क		
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टाफ कालेज)		
	-	-
<b>कुल (ई) सकल कुल ( ए+ बी +सी + डी+ ई)</b>	<b>83,42,630</b>	<b>1,09,38,740</b>

अनुसूची 10 - अनुदान/रियायतें न मोडे जाने वाले प्राप्त दान)

₹ में

विवरण	योजना			कुल योजना	गैर योजना यूजीसी	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	भारत सरकार	यूजीस					
		योजना	विशेष योजना				
शेष बी/एफ	-	-	-	-	-	-	-
योग: वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया	-	2,16,03,552	-	2,16,03,552	62,21,49,523	64,37,53,075	43,52,79,502
कुल	-	2,16,03,552	-	2,16,03,552	62,21,49,523	64,37,53,075	43,52,79,502
कटौती: यूजीसी को वापसी	-	-	-	-			
शेष	-	2,16,03,552	-	2,16,03,552	62,21,49,523	64,37,53,075	43,52,79,502
कटौती: पूंजीगत व्यय के लिए सूचीबद्ध ए	-						
शेष	-	2,16,03,552	-	2,16,03,552	62,21,49,523	64,37,53,075	43,52,79,502
कटौति : राजस्व व्यय बी	-	2,16,03,552	-	2,16,03,552	62,21,49,523	64,37,53,075	43,52,79,502
शेष सी/एफ	-	-	-	-	-	-	-

अनुसूची 11 निवेश से अन्य आय

₹ में

विवरण	निर्धारित/ धर्मस्व निधियों		अन्य निवेश	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. ब्याज				
ए. सरकारी प्रतिभूतियों पर				
बी. डिबेंचर्स एवं बाँड				
2. सावधि जमा बर ब्याज	29,563	30,080		
3. ब्याज प्राप्त किया गया, लेकिन सावधि जमा में शामिल नहीं किया गया/कर्मचारियों के पास जमा अग्रिम पर ब्याज	5,71,308	7,08,985		
4. बचत बैंक खातों पर जमा				
5. अन्य विशेष				
<b>कुल</b>	<b>6,00,871</b>	<b>7,39,065</b>	-	-
निर्धारित/ धर्मस्व निधियों को स्थानांतरित				
शेष	शून्य	शून्य		

अनुसूची 12 अर्जित ब्याज रुपये

₹ में

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. शेड्युल्ड बैंकों में बचत खातों पर	30,49,207	93,509
ऋण पर		
कर्मचारी / स्टाफ	8,11,146	1,34,08,810
अन्य (टीडीआर)	5,49,31,352	1,38,626
अन्यप्राप्तियोग्य अन्य जमा		
कुल	5,87,91,705	1,36,40,945



अनुसूची 13 – अन्य आय

₹ में

ए. भूमि एवं भवन द्वारा आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. छात्रावास के कमरों का किराया	43,62,487	36,32,078
2. लायसेन्स शुल्क	16,640	5,23,747
3. सभागृह/खेल मैदान / कन्वेंशन सेंटर एवं अन्य से प्राप्त भाडे		
4. बिजली एवं पेयजल शुल्क	13,92,029	11,84,569
5. जलापूर्ती शुल्क प्राप्त किया गया	30,725	
<b>कुल</b>	<b>58,01,881</b>	<b>53,40,394</b>
<b>बी. संस्थागत प्रकाशनों की बिक्री</b>	<b>97,867</b>	<b>92,985</b>
<b>सी. आयोजनों से प्राप्त आय</b>		
1. वार्षिक समारोह/स्पोर्ट्स कार्निवाल द्वारा सकल प्राप्तियाँ	1,05,000	41,071
कटौति: वार्षिक समारोह/स्पोर्ट्स कार्निवाल पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय		
2. उत्सवों द्वारा सकल प्राप्तियाँ		
कटौति: उत्सवों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय		
3 शैक्षणिक यात्राओं द्वारा सकल प्राप्तियाँ		
कटौति: शैक्षणिक यात्राओं पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय		
4. अन्य (विशेष एवं अलग से बताए जाएंगे)		
<b>कुल</b>	<b>1,05,000</b>	<b>41,071</b>
<b>डी. अन्य</b>		
1. परामर्श दाता द्वारा आय		
2. आरटीआई शुल्क	1,043	2,729
3. रॉयल्टी द्वारा आय	73,004	2,06,695
4. आवेदनों की बिक्री द्वारा आय(नियुक्तियाँ)	8,945	
5. अन्य प्राप्तियाँ (निविदाएं एवं बेकार कागज़ की बिक्री आदि)	1,39,828	8,55,586
6. परिसंपत्तियों के विक्रय /निपटारे से प्राप्त लाभ		
ए) निजी परिसंपत्तियाँ		
बी) निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ		
7. अनुदान/ संस्थाओं, कल्याणकारी संस्थाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दान		
8. अन्य (विशेष )	6,99,046	7,68,606
<b>कुल</b>	<b>9,21,866</b>	<b>19,26,601</b>
<b>कुल ( ए+बी+सी+डी)</b>	<b>69,26,614</b>	<b>73,08,066</b>

अनुसूची 14 – पूर्व अवधि आय

₹ में

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. शैक्षणिक प्राप्तियाँ	26,47,358	
2. निवेश से प्राप्त आय		
3. अर्जित ब्याज	1,62,838	
4. अन्य आय	18,52,177	2,11,55,621
कुल	46,62,373	2,11,55,621

अनुसूची 15 – स्टाफ भुगतान एवं लाभ (संस्थागत व्यय)

₹ में

	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) वेतन एवं भुगतान	-	43,43,48,468	43,43,48,468	-	30,67,60,989	30,67,60,989
बी) भत्ते एवं बोनस	-	1,33,81,065	1,33,81,065	-	6,79,009	6,79,009
सी) भविष्य निधि को योगदान	-		-	-	-	-
डी) अन्य निधियों (विशेष एनपीएस) को योगदान	-	1,48,78,691	1,48,78,691	-	66,84,479	66,84,479
ई) स्टाफ कल्याण व्यय	-	8,34,853	8,34,853	-	10,36,067	10,36,067
एफ) सेवानिवृत्ति एवं सेवा से हटाए जाने के लाभ	-		-	-	-	-
i) 31.03.2016 को वास्तविक मूल्यांकन	-	63,80,64,012	63,80,64,012	-	-	-
ii) सेवानिवृत्ति एवं वर्ष के दौरान दिये गये लाभ	-	10,63,89,427	10,63,89,427	-	9,46,77,217	9,46,77,217
जी) एलटीसी संकाय	-	27,06,547	27,06,547	-	36,83,540	36,83,540
एच) चिकित्सा संकाय	-	2,03,42,603	2,03,42,603	-	1,69,42,361	1,69,42,361
आई) बाल शिक्षा भत्ता	-	25,17,940	25,17,940	-	16,69,210	16,69,210
जे) मानद	-	32,39,775	32,39,775	-	25,73,386	25,73,386
के) अन्य विशेष	-	3,53,728	3,53,728	-	3,60,692	3,60,692
<b>कुल</b>	-	<b>1,23,70,57,109</b>	<b>1,23,70,57,109</b>	-	<b>43,50,66,950</b>	<b>43,50,66,950</b>

अनुसूची 15 ए – कर्मचारी सेवा निवृत्ति एवं सेवामुक्ति लाभ

₹ में

	पेंशन	ग्रेच्युटी	छुट्टी भुगतान	कुल
1-04-15 को प्रारंभिक शेष				-
योग: अन्य संस्थआओं द्वारा प्राप्त योगदान का पूंजीगत व्यय				-
कुल (ए)	-	-	-	-
कटौति : वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (बी)				-
31-03-2016 को उपलब्ध शेष सी (ए-बी)	-	-	-	-
वास्तविक मूल्यांकन (डी) के लिए 31-30-2016 को आवश्यक प्रावधान	37,35,62,004	7,67,60,045	18,77,41,963	63,80,64,012
ए. चालू वर्ष में बनाये गये प्रावधान ( डी-सी)	37,35,62,004	7,67,60,045	18,77,41,963	63,80,64,012
भी. नयी पेंशन योनजा के लिए प्रावधान				-
सी. सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के मेडिकल पुनर्भुगतान				-
डी. सेवानिवृत्ति पर अपने शहर जाने के लिए यात्रा भत्ता				-
ई. बीमा भुक्तान से जुड़ी जमा				-
कुल (ए +बी +सी + डी +ई)	37,35,62,004	7,67,60,045	18,77,41,963	63,80,64,012

अनुसूची 16 शैक्षणिक व्यय रुपये

₹ में

	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) प्रयोगशाला व्यय		39,934	39,934			-
बी) फिल्ड कार्य/भागीदारी			-		-	-
सी) संगोष्ठी / कार्यशाला	17,62,832	1,94,650	19,57,482		1,71,279	1,71,279
डी) अतिथि संकाय को भुगतान		2,39,229	2,39,229		1,44,033	1,44,033
ई) परीक्षाएँ		15,10,944	15,10,944		21,86,950	21,86,950
एफ) विद्यार्थी कल्याण व्यय		95,009	95,009		7,550	7,550
जी) प्रवेश व्यय			-		1,37,826	1,37,826
एच) दीक्षांत समारोह व्यय			-		-	-
आई) प्रकाशन			-		-	-
जे) स्टाइपेंड/मीन्स-मेरिट छात्रवृत्ति		4,55,817	4,55,817		6,71,630	6,71,630
के) सदस्यता व्यय		2,95,857	2,95,857		1,66,241	1,66,241
एल) अन्य विशेष	19,47,878	1,10,317	20,58,195		65,112	65,112
<b>कुल</b>	<b>37,10,710</b>	<b>29,41,757</b>	<b>66,52,467</b>		<b>35,50,621</b>	<b>35,50,621</b>

अनुसूची 17- प्रशासनिक एवं समान्य व्यय

₹ में

	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए. आधारभूत संरचना			-			
ए. बिजली एवं ऊर्जा	1,35,00,000	70,93,127	2,05,93,127		91,29,293	91,29,293
बा). जल शुल्क	93,81,088	32,30,441	1,26,11,529		91,26,969	91,26,969
सी) बीमा		1,75,074	1,75,074		30,677	30,677
डी)भाडा, दरें एवं कर (संपत्तिकर सहित)		26,31,464	26,31,464		36,86,750	36,86,750
<b>कुल (ए)</b>	<b>2,28,81,088</b>	<b>1,31,30,106</b>	<b>3,60,11,194</b>		<b>2,19,73,689</b>	<b>2,19,73,689</b>
बी. संचार			-			-
ई)डाक एवं टेलीग्राम		5,45,290	5,45,290		4,98,925	4,98,925
एफ) टेलीफोन एवं इन्टरनेट शुल्क	14,781	17,12,261	17,27,042		19,56,350	19,56,350
<b>कुल (बी )</b>	<b>14,781</b>	<b>22,57,551</b>	<b>22,72,332</b>		<b>24,55,275</b>	<b>24,55,275</b>
सी . अन्य			-			-
जी) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	4,33,940	38,60,466	42,94,406		29,57,529	29,57,529
एच) यात्रा एवं भत्ता व्यय	12,095	30,14,570	30,26,665		43,30,072	43,30,072
आई) आतिथ्य	1,115	5,72,616	5,73,731		8,80,024	8,80,024
जे)लेखाकारों को अनुदान			-		-	-
के) व्यवहारिक शुल्क		1,53,405	1,53,405		2,25,600	2,25,600
एल)विज्ञापन एवं प्रचार		95,64,446	95,64,446		7,52,832	7,52,832
एम) पत्र-पत्रिकाएँ	20,670	35,798	56,468		31,720	31,720
एन)अन्य (विशेष)(एएमसी)	1,98,44,525	84,08,144	2,82,52,669		26,62,108	26,62,108
<b>कुल (सी)</b>	<b>2,03,12,345</b>	<b>2,56,09,445</b>	<b>4,59,21,790</b>		<b>1,18,39,885</b>	<b>1,18,39,885</b>
<b>कुल</b>	<b>4,32,08,214</b>	<b>4,09,97,102</b>	<b>8,42,05,316</b>	-	<b>3,62,68,849</b>	<b>3,62,68,849</b>

अनुसूची 18- परिवहन व्यय

₹ में

विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
1. वाहन (शैक्षणिक संस्था के निजी वाहन)						
ए)संचालन व्यय	-	82,616	82,616		6,04,191	6,04,191
बी)मरम्मत एवं रखरखाव	-	6,57,890	6,57,890		-	-
सी)बीमा व्यय	-	86,006	86,006		-	-
	-	<b>8,26,512</b>	<b>8,26,512</b>	-	<b>6,04,191</b>	<b>6,04,191</b>
2. भाडे/लीज़ पर लिये गये वाहन:			-			-
ए)भाड़ा/लीज़ व्यय	-	<b>2,82,813</b>	2,82,813			-
			-			-
3. वाहन (टैक्सी) किराया व्यय	-	<b>9,78,420</b>	9,78,420		2,25,459	2,25,459
<b>कुल</b>	-	<b>20,87,745</b>	<b>20,87,745</b>		<b>8,29,650</b>	<b>8,29,650</b>

अनुसूची 19 – मरम्मत एवं रखरखाव

₹ में

विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) भवन	6,84,943	3,51,565	10,36,508		8,98,602	8,98,602
बी) फर्नीचर एवं फिक्सचर	27,982	58,176	86,158		85,601	85,601
सी) इकाई एवं मशिनरी	3,12,794	9,08,068	12,20,862		8,04,776	8,04,776
डी) कार्यालय उपकरण	3,05,325	2,91,375	5,96,700		8,42,277	8,42,277
ई) कंप्यूटर्स	1,91,950	12,400	2,04,350		-	-
एफ) प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपकरण	-		-		-	-
जी) एडियो विज्वल उपकरण	-	9,650	9,650		-	-
एच) सफाई सामग्री सेवा	-	1,09,078	1,09,078		5,045	5,045
आई) पुस्तकों की जिल्द का शुल्क	-		-		-	-
झे) भागबानी	-		-		-	-
के) एस्टेट रखरखाव	-	-	-		-	-
एल) अन्य (विशेष)	2,23,673	1,82,680	4,06,353		10,36,790	10,36,790
कुल	<b>17,46,667</b>	<b>19,22,992</b>	<b>36,69,659</b>	-	<b>36,73,091</b>	<b>36,73,091</b>



अनुसूची 20 – वित्त मूल्य

₹ में

विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) बैंक शुल्क	2,625	57,036	59,661	2,625	23,127	25,752
बी) अन्य (विशेष)						
कुल	2,625	57,036	59,661	2,625	23,127	25,752

अनुसूची 21 – अन्य व्यय

₹ में

विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) रुग्ण एवं संदिग्ध जमा/ अग्रिम का प्रावधान	-	-	-			
बी. अप्राप्तियोग्य जमा रखी गयी	-	-	-			
सी) अन्य संस्थानों/ संगठनों द्वारा अनुदान/ छूट	-	-	-			
डी. अन्य (विशेष)	2,00,23,080		2,00,23,080		61,23,419	61,23,419
<b>कुल</b>	<b>2,00,23,080</b>	<b>-</b>	<b>2,00,23,080</b>	<b>-</b>	<b>61,23,419</b>	<b>61,23,419</b>

अनुसूची 22 – पूर्व आवधि व्यय

₹ में

विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
1. संस्थागत व्यय		57,91,566	57,91,566			-
2. शैक्षणिक व्यय		4,73,681	4,73,681			-
3. प्रशासनिक व्यय		2,48,950	2,48,950			-
4. परिवहन व्यय		-	-			-
5. मरम्मत एवं रखरखाव		2,24,658	2,24,658			-
6. अन्य	44,225	2,292	46,517		27,87,167	27,87,167
<b>कुल</b>	<b>44,225</b>	<b>67,41,147</b>	<b>67,85,372</b>	<b>-</b>	<b>27,87,167</b>	<b>27,87,167</b>

अनुसूची 23 – मूल्यहास

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
वर्ष के लिए मूल्यहास	19,43,10,403	11,55,62,855
<b>कुल</b>	<b>19,43,10,403</b>	<b>11,55,62,855</b>

## अनुसूचि -24

### महत्त्वपूर्व लेखा नीतियाँ

#### 1. लेखा तैयार करने का आधार

विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत प्रोन्नवन आधार पर तैयार किया गया है, जबकि सामान्य रूप से लेखा सिद्धांतों और मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संस्थानों में अमल में लाये जाने वाले लेखा मानकों की रिपोर्ट के अनुसार तैयार करने के लिए कहा गया है।

#### 2. राजस्व मान्यताएँ

- 2.1 विद्यार्थियों से प्राप्त किया गया शुल्क, प्रवेश पत्र क्रय से प्राप्त राशि एवं बचत बैंक खातों से प्राप्त ब्याज नगद आधार पर दर्ज किया गया है।
- 2.2 कर्मचारियों को आवास भवन, वाहनों की खरीदी, कंप्यूटर के लिए दी गयी अग्रिम से प्राप्त ब्याज का व्यवहार नगद आधार पर किया गया है।
- 2.3 सावधि जमा पर ब्याज का हिसाब प्रोन्नवन पद्धति से किया गया है।

#### 3. स्थिर परिसंपत्तियाँ एवं मूल्य ह्रास

- 3.1 स्थिर परिसंपत्तियाँ खरीदी मूल्य और उसकी उपयोगिता के आधार पर कार्यस्थिति के किसी भी कारण ऐतिहासिक मूल्य आधार पर दर्शायी गयी हैं।
- 3.2 यदि प्राप्त की गयी संपत्तियाँ/जमा कार्य के बिलों का समाधान ठेकेदारों के साथ प्रभावी रूप से नहीं किया गया है, उसका निपटारा वर्ष के दौरान आवश्यक समायोजन कर अनंतिम आधार पर पूंजीकृत किया जाएगा।
- 3.3 स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कम मूल्यह्रास लागत के अनुसार किया गया है। स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास अवलेखित मूल्यह्रास पद्धति से आयकर अधिनियम के अंतर्गत खरीदे गये दरों के आधार पर उपलब्ध कराया गया है। प्रथम अर्धवर्ष के दौरान प्राप्त की गयी परिसंपत्तियों पर पूर्ण मूल्यह्रास यथानुपात पद्धति पर अधिग्रहण/खरीदी/प्रारंभ/स्थापना के अनुसार अपनाया गया है और इस उत्तरार्ध वर्ष के दौरान प्राप्त की गयी परिसंपत्तियों पर 50 प्रतिशत मूल्यह्रास अपनाया गया है।

- 3.4 10000 रुपये तक की परिसंपत्तियों पर (पुस्तकालय की किताबों को छोड़ कर) संपूर्ण मूल्यहास उसके उपयोग के वर्ष के अनुसार किया गया है। इसके बावजूद संपत्तिधारकों द्वारा लेखा और नियंत्रण कार्य व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है।
- 3.5 जहाँ परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्याहास किया गया है, उन्हें शेष मूल्य 1 रुपये के साथ तुलन पत्र में दर्शाया जाएगा। इसके अलावा मूल्यहास प्रतिवर्ष की के जोड़ को पृथक रूप से योग्य मूल्यहास दर के साथ संबंधित खातों में दर्शाया गया है।
- 3.6 अनुदान के अलावा निर्धारित निधियाँ, अधिग्रहण परिसंपत्तियाँ एवं प्रायोजित एजेन्सियों से प्राप्त निधियाँ जिसे उनके मालिकों द्वारा विश्वविद्यालय के हवाले किया गया है, उन्हें उचित रूप से पूंजी निधि में स्थिर परिसंपत्तियों में दर्शाया गया है। ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्य हास उनके योग्य मूल्य के अनुसार, लगाया गया है।
- 3.7 अगोचर परिसंपत्तियाँ : पेटेंट एवं कॉपी राई, ई जर्नल तथा कंप्यूटर साफ्टवेयर अगोचर संपत्तियों के अंतर्गत रखे गये हैं।
4. वस्तु सूची: स्टोर से खरीदी गयी वस्तुओं एवं प्रकाशन को राजस्व खातों के अंतर्गत रखा गया है। इसके बावजूद संपत्तिधारकों द्वारा लेखा और नियंत्रण कार्य व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है।
5. निवेश  
निवेश का मूल्यांकन अधिग्रहण की कीमत के समावेशी मूल्य पर किया गया है।
6. सेवानिवृत्ति लाभ
- 6.1 सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेन्शन, ग्रैचिटी एवं छुट्टी के बदले नगद, ..जैसा कि अदा किया गया है, नगद आधार पर, उपलब्ध कराए गये हैं।
- 6.2 सेवानिवृत्ति ग्रैचिटी, सेवानिवृत्ति पेन्शन एवं छुट्टियों के समायोजन का प्रावधान लेखा मानक 15 के अनुसार प्रोव्जन आधार पर किया गया है।

7. निर्धारित निधियों एवं धर्मस्व निधियों का निवेश

जिन निधियों की तत्काल उपयोगिता न हो उन्हें बचत/चालू बैंक खातों में सावधि जमा के रूप में अनुसूचित बैंकों में रखा गया है और उनसे प्राप्त ब्याज को संबंधित खातों में जमा किया जाता है।

8. वित्तीय प्रबंधन

विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों तथा भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों और वित्तीय परिसंपत्तियों के सिद्धांतों को अमल में लाया गया है।

9. भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान

- 9.1 भारत सरकार/यूजीसी द्वारा प्राप्त अनुदान को यथोचित रूप से प्राप्त होने के कारण प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी गयी है और संगठन उन अनुदानों को प्राप्त कर संलग्न करने की शर्तें पूरी कर लेगा।
- 9.2 वर्षांत में उपयोग में लाये गये पूंजि अनुदान पूंजि/(संग्रहित) निधि को स्थानांतरित किये गये।
- 9.3 राजस्व व्यय के लिए प्राप्त किये गये अनुदान वर्ष की आय के रूप में (प्रोद्भवन आधार पर) दर्शाये गये, जिस व्यय के उद्देश्य से उन्हें प्राप्त किया गया था।
- 9.4 अनुदानों का उपयोग आगे ले जाया गया और तुलनपत्र में देयता के रूप में दर्शाया गया है।

10. विशिष्ट उद्देश्यीय निधि

- 10.1 विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण निधि, कर्चमारी कल्याण निधि, शिक्षण कल्याण निधि, अन्य निधि, विदेशी विद्यार्थी कल्याण निधि, प्रकाशन निधि, विकास निधि, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय निधि, शैक्षणिक उन्नति निधि एवं इसी तरह की अन्य विशिष्ट निधियों का संचालन करता है। हर निधि का अलग बैंक खाता होता है। जिन निधियों की तत्काल उपयोगिता न हो उन्हें सावधि जमा के रूप में निवेश किया जाता है और उनसे प्राप्त ब्याज को संबंधित खातों में जमा किया जाता है।

10.2 विश्वविद्यालय चक्रवाती निधि स्थायी कर्मचारियों को आवास भवन ऋण मंजूर करने के लिए रखता है। जिस राशि की तत्काल उपोयगिता न हो उन्हें सावधि जमा के रूप में निवेश किया जाता है। कर्मचारियों को मंजूर ऋण वापिस निधियों में जमा किया जाता है।

#### 11. आयकर

विश्वविद्यालय की आय को आयकर अधिनियम के नियम 10 (23) (सी) के अंतर्गत आय से छूट है। इसलिए लेखा में करों का प्रावधान नहीं रखा गया है।

## अनुसूची 25

### आकस्मिक देयताएँ एवं लेखा पर टिप्पणियाँ:

1. आकस्मिक देयताएं—शून्य
2. पूंजीगत देयताएँ : शुरू नहीं किये गये ठेकों की जानकारी पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत रखी गयी है और 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष में 3.32 करोड़ रुपये नहीं दर्शाये गये हैं।
3. मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 17-4-2015 को जारी पत्र संख्या 29-4/2012 आईएफडी प्राप्त हुआ है, केंद्रीय शिक्षा संस्थानों की वित्तीय अनुसूचियाँ पूर्व पद्धति से बनायी गयी है, अनुसूचियों के साथ वित्तीय बयान संशोधित प्रारूप में वर्ष 2014-15 से करने को कहा गया है। इसी के आधार पर वित्तीय बयान तैयार किये गये हैं। आय एवं खातों में संशोधित प्रारूप पर अमलावरी के कारण पूर्व वर्ष से तुलनात्मक प्रस्तुति नहीं की गयी है।
4. विश्वविद्यालय (पूर्व में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एण्ड फॉरन लैंग्वेजस) 30 वर्ष के लिए (अप्रैल 1961 में) 30 एकड़ भूमि कुछ अस्थायी भवनों के साथ उस्मानिया विश्वविद्यालय से 99 वर्ष के लिए लीज़ पर ली गयी और एनईएचयू से 5 एकड़ भूमि मेघालय सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि (2010) 35 वर्ष के लिए दी गयी है।
5. 2002-2003 तक प्राप्त की गयीं स्थिर परिसंपत्तियों पर 2003-04 से 2010-2011 तक का मूल्यह्रास सातवें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार 2011-12 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए ऋणमुक्त किया गया है।
6. प्रकाशनों की प्रतियाँ मानार्थ दिये जाने के कारण 1.09 रुपये का मूल्य आय एवं व्यय खाते में नहीं दर्शाया गया है।
7. विदेशी मुद्रा में व्यय

ए. यात्रा	3807.98 पउण्ड	- 3,85,151 रुपये
	3100 यूरो	- 2,29,550 रुपये
	75555.16 डालर	- 5,00,203 रुपये
8. बचत बैंक खातों, चालू बैंक खातों, एवं स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में जमा चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अनुसूची के ए संलग्न में रखा विस्तार से जानकारी दी गयी है।



9. चालू वर्ष के साथ जहाँ भी आवश्यक है पूर्व वर्ष के आंकड़े पुनःव्यवस्थित किये गये हैं।
10. सभी आंकड़ों में पैसे को निकटतम रुपये में समायोजित किये गया है।
11. अनुसूचि 1 से 25 को तुलन पत्र के एकीकृत भाग के रूप में रखा गया है।
12. भविष्य निधि खाते एवं नयी पेंशन योजना खाते संबंधित सदस्यों के हैं, विश्वविद्यालय के नहीं हैं। वर्ष के दौरान इन खातों को विश्व विद्यालय के खातों से अलग किया गया है। भविष्य निधि खाते तथा पेंशन योजना के प्राप्तियाँ एवं भुगतान एवं आय एवं व्यय खाते (प्रोब्डवन आधार पर) तुलन पत्र के साथ अलग से दर्शाये गये हैं। जिन 152 कर्मचारियों को पीआरए नंबर आवंटित किया गया है, उनकी नई पेंशन योजना निधि (1.99 करोड़ रुपये) राष्ट्रीय केंद्रीय रिकार्डधारक एजेंसी (सीआरए) सुरक्षा जमा लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास जमा की गयी है। नयी पेंशन योजना में शेष 49 सदस्यों की राशि विश्वविद्यालय के पास है, जब उन्हें पीआरए नंबर आवंटित किया जाएगा, उनकी राशि एजेंसी को उन खातों में जमा की जाएगी।
- 13.

## स्वतंत्र लेखाकार की रिपोर्ट

सेवा में

न्यासीगण

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय

कर्मचारी भविष्य निधि

तारनाका

हैदराबाद 500007

### वित्तीय बयानों पर रिपोर्ट

हमने अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के कर्मचारी भविष्य निधि (निधि) के वित्तीय बयानों का लेखा परीक्षण किया है। यह निधि 31 मार्च 2016 को समाप्त तुलनपत्र, आय एवं व्यय खातों का बयान, तथा आवृत्तियाँ एवं भुगतान खातों की विस्तारपूर्वक जानकारी है।

### वित्तीय बयानों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

‘निधि’ का प्रबंधन इन वित्तीय बयानों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार, निधि की वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय प्रदर्शन की सही एवं निष्पक्ष जानकारी दे। इस निधि की जिम्मेदारियों में वित्तीय बयानों को तैयार करना उनके बेहतर प्रदर्शन तथा प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण द्वारा उसको तैयार करना, अमलावरी एवं रखरखाव करना है ताकि वास्तविक एवं निष्पक्ष स्थिति सामने आये औ किसी भी प्रकार की अनियमितता, धोखाधड़ी या त्रुटी को सहजता से समझा जा सके।

### लेखाकारों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के अनुसार वित्तीय बयानों पर अपनी राय प्रकट करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण किया है। हमने उन सभी आवश्यक पद्धतियों को अपनाया है, जो लेखा की नैतिक आवश्यकता हैं, ताकि लेखा को विश्वसनीय बनाते हुए यह बताया जा सके कि वित्तीय बयान त्रुटी से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षण के दौरान वित्तीय बयानों में दी गयी राशि से संबंधित लेखा साक्ष्य प्राप्त किये गये। इसके लिए प्रक्रिया का चयन लेखाकारों निर्णय के अनुसार किया गया, जिसमें वित्तीय बयानों में त्रुटियों के जोखिम का आकलन भी शामिल था, कहीं कोई त्रुटी

या धोखा तो नहीं है। इन बयानों को जोखिम आकलन में लेखाकारों ने प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को स्वीकृत माना, जो विभिन्न स्थितियों में निधियों के वित्तीय बयानों की तैयारी एवं निष्पक्ष प्रदर्शन

के लिए अनिवार्य हैं। लेखा ने इस बात का मूल्यांकन भी किया कि प्रबंधन द्वारा तैयार किये गये आकलन में उचित लेखा नीतियों का उपयोग किस तरह से किया गया है। साथ ही वित्तीय बयानों की व्यापक प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया गया।

हम विश्वास रखते हैं कि हमारी राय के लिए उपलब्ध कराये गये लेखा साक्ष्य संतोषजनक एवं उचित हैं।

**हमारी राय :**

हमारी राय में और हमें उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा हमें दिये गये उत्तम स्पष्टिकरण के अनुसार, वित्तीय बयानों के लिए अनिवार्य सूचनाएँ प्रदान की गयी, जो भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखा सिद्धांतों के साथ वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टि प्रदान करते हैं।

ए) तुलन पत्र का आधार ,31 मार्च 2016 के निधि के मामले

बी) आय एवं व्यय के बयान, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए व्यय पर अधिक आय के आय एवं व्यय खाते।

अन्य अनिवार्य विधि एवं नियामक पर रिपोर्ट

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं:**

ए) हमने सभी प्रकार की सूचनाएं एवं स्पष्टिकरण प्राप्त किये हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के लिए अनिवार्य है।

बी) हमारी राय में खाता पुस्तकों एवं अन्य प्रासंगिक रिकार्ड का रखरखाव निधि द्वारा उसी तरह किया है, जैसा कि अब तक हमारे परीक्षण में इस तरह की पुस्तकों का होना चाहिए।

सी) इस रिपोर्ट के साथ उपलब्ध तुलनपत्र एवं आय एवं व्यय के बयान लेखा पुस्तकों के साथ समझौते रूप में माने जाएंगे।

स्थान : हैदराबाद

तिथि 31/05/2016

आर सुब्रमण्यम एण्ड कंपनी के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 0041025

नारायणा पीएस

भागीदार एम. संख्या 027074

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय  
कर्मचारी भविष्य निधि खाते

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

	31 मार्च 2016 को रुपये	31 मार्च 2015 को रुपये
<b>देयताएँ</b>		
कर्मचारियों का योगदान	13,21,95,301.00	12,84,65,052.00
नियोक्ता का योगदान		
ईएफएलयू	6,45,063.00	6,45,063.00
व्यय पर अधिक आय कुल	15,53,953.00	10,64,775.00
<b>कुल</b>	<b>13,43,94,317.00</b>	<b>13,01,74,890.00</b>
<b>परिसंपत्तियाँ</b>		
<b>निवेश :</b>		
भारत सरकार की प्रतिभूतियों		
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	25,00,000.00	25,00,000.00
<b>बॉण्ड्स में</b>		
आडीबीआई बैंक में बिन मियादी बॉण्ड्स 2020	30,05,700.00	30,05,700.00
यूको बैंक में बॉण्ड्स 2016	30,00,000.00	30,00,000.00
यूको बैंक में बॉण्ड्स 2020	20,30,200.00	20,30,200.00
टाटा स्टील लिमिटेड में बिन मियादी बॉण्ड्स 2021	84,40,000.00	84,40,000.00
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास बॉण्ड्स	18,21,136.00	18,21,136.00
एसआरआईआई उपकरण वित्त प्रा. लि.	49,10,000.00	49,10,000.00
दि मैसूर पेपर मिल लि.	50,25,000.00	50,25,000.00
<b>बैंकों में स्थिर जमा</b>		
एसबीएच इफ्लू शाखा में एफडीआर	7,92,10,097.00	7,80,85,513.00
एसबीएच में विशेष जमा यजोना	1,89,50,427.00	1,89,50,427.00
<b>बचत खातों में जमा</b>		
इंडियन बैंक बचत खाता	7,32,177.00	2,91,479.00
एसबीएच इफ्लू बचत खाता	17,17,844.00	(1,48,864.00)
निवेश पर आर्जित आय	30,51,736.00	22,26,942.00
कर्मचारियों से प्राप्तियोग्य राशि	-	37,357.00
<b>कुल</b>	<b>13,43,94,317.00</b>	<b>13,01,74,890.00</b>

हमारी रिपोर्ट के अनुसार आज की तिथि में  
आर सुब्रमण्यम एण्ड कंपनी के लिए,  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
(फर्म रजिस्ट्रेशन. 004102एस)

अंग्रेज़ी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के लिए  
कर्मचारी भविष्य निधि

*गी एस एन*

नारायणा पीएस

पार्टनर

एमएन. 027074

स्थान: हैदराबाद

तिथि:

न्यासी

TRUSTEE

The English & Foreign Languages University

Employees Provident Fund

TEFLU, Hyderabad-500 007 A P

न्यासी

TRUSTEE

**अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय**  
कर्मचारी भविष्य निधि खाते हैदराबाद - 500 007

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय खाते

	31 मार्च 2016 को रुपये	31 मार्च 2015 को रुपये
<b>आय</b>		
ब्याज:		
भारत सरकार के ऋण	1,56,250.00	1,62,190.00
एसबीएच में विशेष जमा योजना	16,47,503.00	16,47,503.00
आईडीबीआई बैंक में बिन मियादी बाँड्स 2020	2,74,500.00	2,74,500.00
यूको बैंक में बाँड्स 2016	2,80,500.00	2,80,500.00
यूको बैंक में बाँड्स 2020	1,87,000.00	1,87,000.00
एसबीएच इफ्लू शाखा में एफडीआर	69,79,981.00	59,39,689.00
इंडियन बैंक एफडीआर	-	1,11,016.00
कैनरा बैंक एफडीआर	-	1,23,700.00
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास बाँड्स	1,62,991.00	1,62,992.00
एसआरआईआई उपकरण वित्त प्रा. लि.	5,00,000.00	5,00,000.00
दि मैसूर पेपर मिल लि.	4,24,000.00	4,24,000.00
टाटा स्टील लिमिटेड में बिन मियादी बाँड्स 2021	9,44,000.00	9,44,000.00
इंडियन बैंक बचत खाते पर ब्याज		15,756.00
एसबीएच इफ्लू बचत खाते पर ब्याज	58,860.00	53,881.00
अन्य आय		3,97,217.00
कुल	<b>1,16,15,585.00</b>	<b>1,12,23,944.00</b>
<b>व्यय</b>		
योगदान पर ब्याज:		
कर्मचारी का	1,11,26,251.00	1,01,59,065.00
नियोक्ता का	-	-
बैंक शुल्क	156.00	104.00
कुल	<b>1,11,26,407.00</b>	<b>1,01,59,169.00</b>
वर्ष के लिए व्यय पर अधिक आय/(आय पर व्यय)	4,89,178.00	10,64,775.00
पूर्व वर्ष से लायी गयी आय पर व्यय	10,64,775.00	(97,24,240.71)
ईएफएल्यू को वापसी के योगदान के लिए पूर्व वर्ष के समायोजित घाटे		97,24,240.71
वर्ष के लिए व्यय पर अधिक आय/(आय पर व्यय) तुलनपत्र में लाया गया	15,53,953.00	10,64,775.00

हमारी रिपोर्ट के अनुसार आज की तिथि में  
आर सुब्रमण्यम एण्ड कंपनी के लिए,  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
(फर्म रजिस्ट्रेशन. 004102 एस)

नारायणा पीएस  
पार्टनर  
एमएन. 027074

स्थान: हैदराबाद

अंग्रेज़ी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के लिए  
कर्मचारी भविष्य निधि

*जायस शर्मा*

न्यासी  
TRUSTEE  
The English & Foreign Languages University

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय  
कर्मचारी भविष्य निधि खाते हैदराबाद - 500 007

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का आवर्तियाँ एवं भुगतान खाता

		रुपये
प्रारंभिक शेष		1,42,615.00
आवृत्तियाँ		
सदस्यता प्राप्त की गयी:		
कर्मचारी		2,34,88,370.00
ऋण वापसी		40,84,645.00
निवेश आवधि पूर्ण हुई:		
कैनरा बैंक एफडीआर		
एसबीएच इफ्लू शाखा में एफडीआर	7,66,84,975.00	7,66,84,975.00
निवेश पर प्राप्त आय:		
आईडीबीआई बैंक में बिन मियादी बाँड्स 2020	2,74,500.00	
एसआरआईआई उपकरण वित्त प्रा. लि.	5,00,000.00	
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास बाँड्स	10,000.00	
दि मैसूर पेपर मिल लि.	4,24,500.00	
टाटा स्टील लिमिटेड में बिन मियादी बाँड्स 2021	9,44,000.00	
यूको बैंक में बाँड्स 2016	2,80,500.00	
यूको बैंक में बाँड्स 2020	1,87,000.00	
भारत सरकार के ऋण	1,56,250.00	
एसबीएच इफ्लू शाखा में एफडीआर	63,06,494.00	
बचत खाता	58,860.00	
एसबीएच में विशेष जमा यजोना	16,48,687.00	
		1,07,90,791.00
<b>कुल</b>		<b>11,51,91,396.00</b>
भुगतान		
ऋण अदा किये	32,78,341.00	
अंतिम भुगतान	3,16,53,319.00	3,49,31,660.00
निवेश:		
एसबीएच इफ्लू शाखा में एफडीआर	7,78,09,559.00	7,78,09,559.00
बैंक शुल्क		156.00
<b>कुल</b>		<b>11,27,41,375.00</b>
समापन शेष		24,50,021.00
एसबीएच इफ्लू शाखा में एफडीआर	17,17,844.00	
इंडियन बैंक बचत खाता	7,32,177.00	24,50,021.00

हमारी रिपोर्ट के अनुसार आज की तिथि में  
आर सुब्रमण्यम एण्ड कंपनी के लिए,  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
(फर्म रजिस्ट्रेशन. 004102एस)

नारायणा पीएस  
पार्टनर  
एमएन. 027074

स्थान: हैदराबाद

अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के लिए

कर्मचारी भविष्य निधि

*(Handwritten Signature)*

न्यासी

TRUSTEE  
The English & Foreign Languages University  
Employees Provident Fund  
EFLU, Hyderabad-500 007 A P

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के कर्मचारी भविष्य निधि

अनुसूची -1 31/3/16 को समाप्त वर्ष के खातों का टिप्पणी प्रारूप भाग

1. निवेश क्रय मूल्य पर दर्शाया गया है।
2. संपूर्ण आय एवं व्यय (दावों के समाधान को छोड़कर) प्रोब्लम आधार पर दर्ज की गयी है।
3. आवश्यकतानुसार जारी वर्ष के खातों को सूचित करने के लिए पूर्व वर्ष के आँकड़े दर्ज किये गये हैं।

अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के लिए  
कर्मचारी भविष्य निधि

न्यासी

न्यासी

स्थान :- हैदराबाद  
तिथि: 31/5/2016

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय  
एनपीएस खाता

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

	31 मार्च 2016 को रुपये	31 मार्च 2015 को रुपये
<b>देयता</b>		
कर्मचारियों का योगदान	1,93,76,871	1,34,68,923
नियोक्ता का योगदान	1,90,18,681	1,33,74,793
योगदान पर देय योग्य ब्याज	59,70,532	68,51,159
	-	
ईएफएलयू	9,597	8,392
<b>कुल</b>	<b>4,43,75,681</b>	<b>3,37,03,267</b>
<b>परिसंपत्तियाँ</b>		
<b>निवेश:</b>		
बैंक में स्थिर जमा		
एसबीएच इफ्लू शाखा में एफडीआर बचत खातों में शेष	4,26,68,915	3,23,72,710
एसबीएच इफ्लू शाखा में बचत खाता	3,015	55,473
एफडीआर पर प्राप्त ब्याज	17,03,751	12,75,084
<b>कुल</b>	<b>4,43,75,681</b>	<b>3,37,03,267</b>

जी 514 214  
Finance Officer  
The English and Foreign Languages University  
Hyderabad-500 007.



अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय  
एनपीएस खाता

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय खाते

	31 मार्च 2016 को रुपये	31 मार्च 2015 को रुपये
<b>आय</b>		
ब्याज :		
एसबीएच इफ्लू शाखा में एफडीआर	34,84,365	28,87,069
एसबीएच इफ्लू शाखा के बचत खातों में ब्याज	65,770	19,351
कुल	<u>35,50,135</u>	<u>29,06,420</u>
<b>व्यय</b>		
सदस्यता पर ब्याज :		
कर्मचारी एवं नियोक्ता -अदा किये गये	1,01,864	1,12,173
योगदान पर देय योग्य ब्याज	34,48,271	27,94,247
कुल	<u>35,50,135</u>	<u>29,06,420</u>
व्यय पर आय	-	-

GA 521 218

Finance Officer  
The English and Foreign Languages University  
Hyderabad-500 007.

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय  
एनपीएस खाता

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का आवर्तियाँ एवं भुगतान खाता

	रुपये
प्रारंभिक शेष	55,473
आवर्तियाँ प्रारंभिक शेष	
प्राप्त सदस्यता	
कर्मचारी एवं नियोक्ता	2,70,68,775
आवधि पूरी होने वाले निवेश:	
एसबीएच इफ्लू शाखा में एफडीआर	3,10,01,331
निवेश पर प्राप्ति योग्य ब्याज:	
एसबीएच इफ्लू शाखा में एफडीआर	30,55,698
बचत खातों पर ब्याज	65,770
कुल	6,11,91,574
भुगतान	
अंतिम भुगतान	-
एनएसडीएल को भुगतान	1,99,46,496
निवेश	
एसबीएच इफ्लू शाखा में एफडीआर	4,12,97,536
कुल	6,12,44,032
समापन शेष	
एसबीएच इफ्लू शाखा में बचत खाता	3,015

जी एम 219  
Finance Officer  
The English and Foreign Languages University  
Hyderabad-500 007.

एनपीएस: 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय बयान

1. 1/1/2004 के बाद विश्वविद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों के लिए नेशनल योजना(एनपीएस) लागू की गयी है। कर्मचारी के वेतन की 10 प्रतिशत राशि प्राप्त की जाती है और इसके समान राशि का योगदान विश्वविद्यालय की ओर से किया जाता है। यह योगदान जिन कर्मचारियों ने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त किया है, उनके खातों में नेशनल सेक्युरिटी डिपॉजिट लिमिटेड(एनएसडीएल) को भेजा जाता है।

2. कुछ कर्मचारियों ने पीआरएएन प्राप्त नहीं किया है, जिसके कारण निम्न प्रकार हैं:-

ए ) कुछ कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (जीएफपी) के साथ जारी रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सेवाएं पूर्व नियोक्ता से ली गयी हैं, लेकिन अब तक वह राशि पूर्व नियोक्ता से हासिल नहीं की गयी है।

बी) उन्होंने पीआरएएन संख्या के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक वह नंबर नहीं आया है, जिसके कारण उनकी राशि एनएसडीएल को नहीं भेजी गयी है।

सी) उन्होंने एनपीएस के साथ अस्वीकृति जताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

इन कारणों से इस योगदान का रखरखाव अलग खातों में एसबीएच, इफ्लू शाखा में स्थिर जमा के रूप में किया जा रहा है।

3. योगदान ( 8 प्रतिशत ब्याज के साथ) उचित रूप से निपटाया जा रहा है।

4. एनपीएस खातों में शेष राशि संलग्न बयानों में दर्ज की गयी है। जहाँ एफडीआर पर ब्याज अर्जित किया गया है, उनके व्यक्तिगत खातों में शामिल किया जाएगा।